7वीं वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

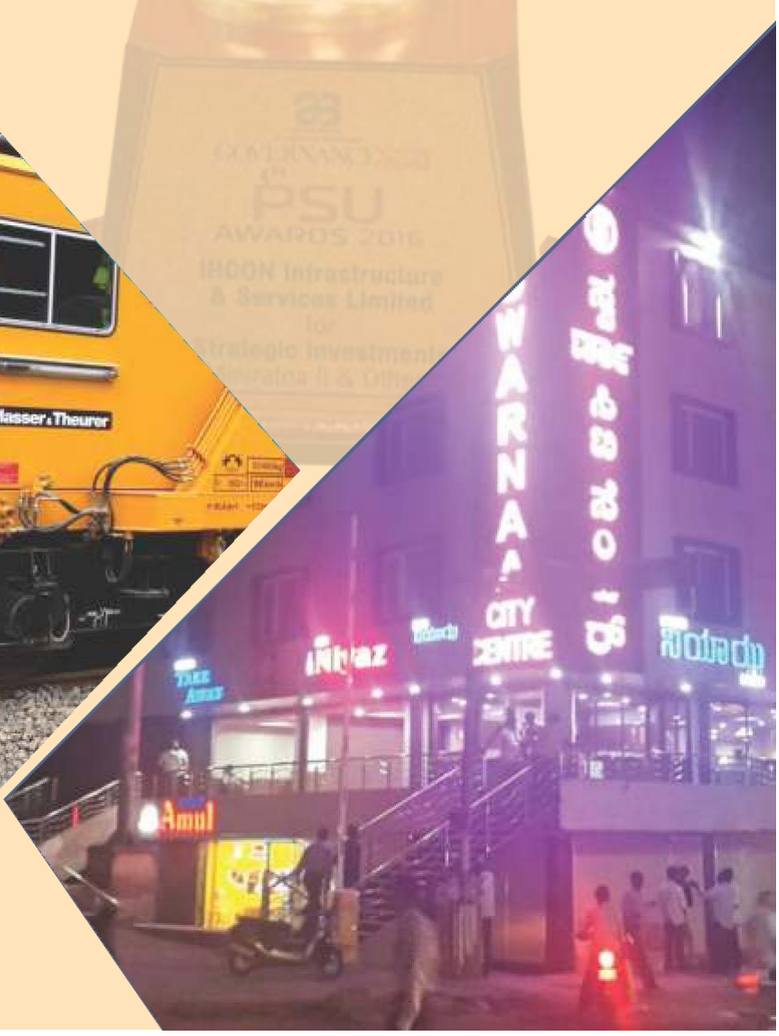

IRCON

विजन एवं मिशन

''विशिष्टता प्राप्त अवसंरचना
विकासकर्ता के रुप में पहचान बनाना
तथा पर्यावरण, गुणवत्ता व सुरक्षा पर
विशेष बल देते हुए अवसंरचना
परियोजनाओं के सभी क्षेत्रों के लिए
विख्यात सेवाप्रदाता के रुप में स्वयं
को स्थापित करना ''

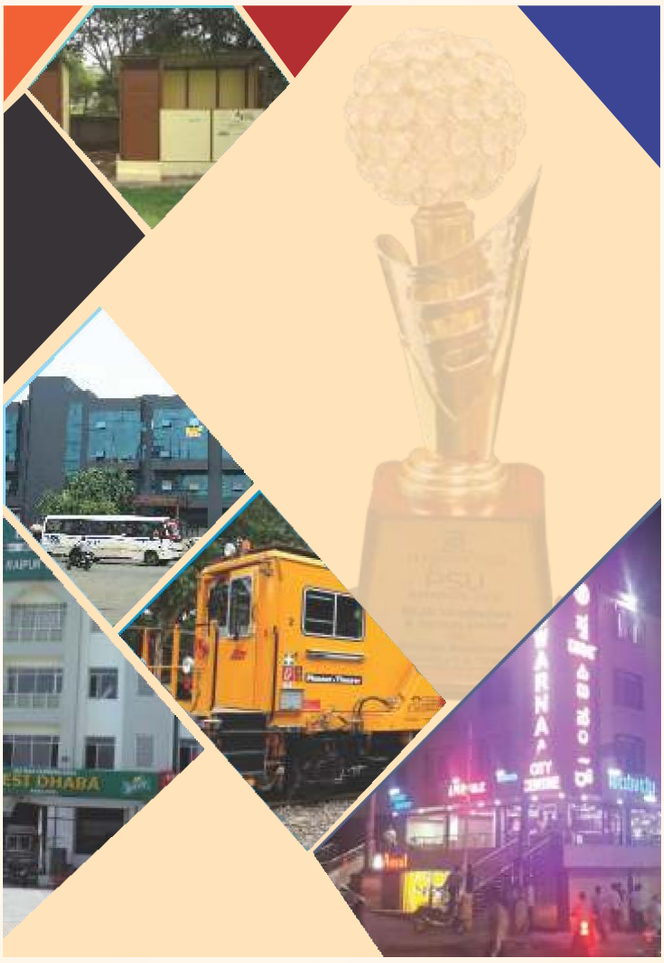

विषयवस्तु

विवरण	पृष्ठ संख्या
अध्यक्ष का संबोधन	6
निदेशक की रिपोर्ट	11
फार्म एमजीटी–9 में वार्षिक रिर्टन का सार	23
फार्म एओसी–2 में संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं का विवरण	29
प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट	31
निगमित शासन रिपोर्ट	36
निगमित शासन पर प्रमाणपत्र	53
सचिवीय संपरीक्षा रिपोर्ट	55
वित्तीय विवरण 2015–16	61
तुलन पत्र	63
लाभ एवं हानि विवरण	64
रोकड़ प्रवाह विवरण	65
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां – नोट सं. 1	68
प्रकटनों सहित लेखों पर नोट – नोट सं. 2 से 49	101
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	114
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	129

निदेशक मंडल

(अंशकालीन निदेशक)

श्री हितेश खन्ना

अध्यक्ष

श्री सुरजीत दत्ता

निदेशक

श्री अनिल जैन

निदेशक

श्री ए के गोयल

निदेशक

प्रमुख कार्यपालक

श्री सी.के.नायर
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री अनिकेत खेत्रपाल
मुख्य वित्त अधिकारी

सुश्री दीपशिखा गुप्ता
कंपनी संचिव

सांविधिक लेखापरीक्षक
कपूर गोयल एंड कंपनी,
सनदी लेखाकार
जी–1 पूजा अपार्टमेंट, 4ए,
अंसारी रोड, दरियागंज–नई
दिल्ली–110002

पंजीकृत कार्यालय
प्लाट सं. सी–7, डिस्ट्रिक्ट
सेंटर साकेत नई
दिल्ली–110017,
सीआईएन–यू45400डीएल
2009 जीओआई 194792

मुख्य बैंकर
इंडियन ओवरसीस बैंक

एचडीएफसी बैंक

बहुउद्देशीय परिसर

इलाहबाद

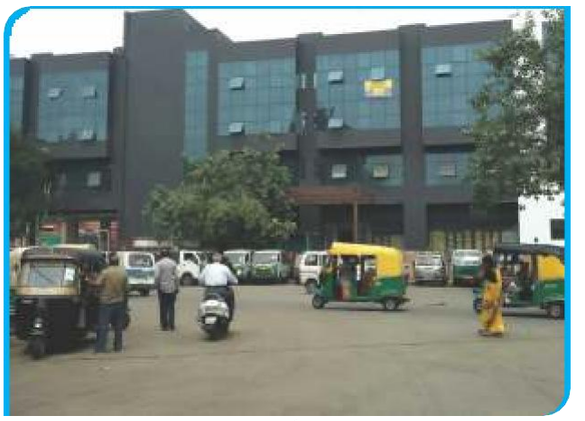

इंदौर

जम्मू

हुबली

उदयपूर

रायपुर

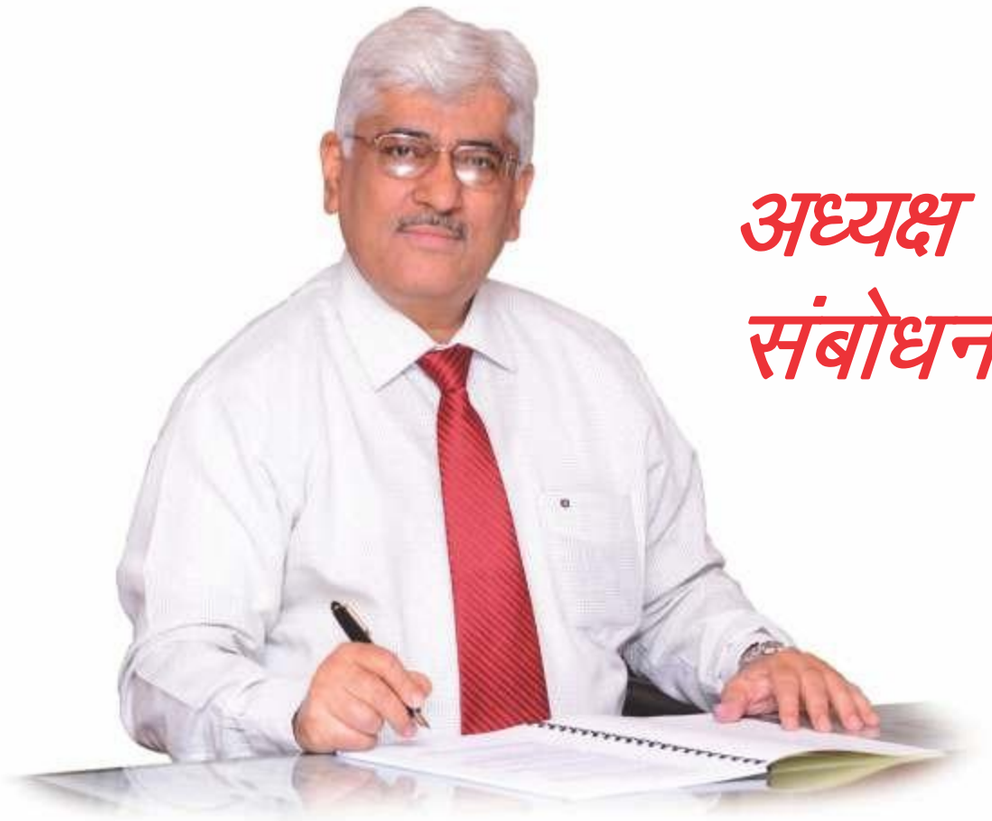

अध्यक्ष का संबोधन

गणमान्य शेयरधारकों,

आपकी कंपनी की 7वीं वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपार्ट तथा निदेशक की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा सचिवीय संपरीक्षकों की रिपोर्ट आपको परिपत्रित की गई है और मैं इस आशय की अनुमति हेतु अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ लिया गया होगा।

आरंभ में, मैं कंपनी के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, आपकी कंपनी ने 74.05 करोड़ रूपए का प्रचालनिक राजस्व रिकार्ड किया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में दुगुने से अधिक (103 प्रतिशत) है, और 81.87 करोड रूपए का कुल राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 90 प्रतिशत की वृद्वि को प्रदर्शित करता हैं। कंपनी ने 22.61 करोड़ रूपए का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है। कर पश्चात लाभ 14.22 करोड़ रूपए है।

प्रचालनिक प्रोफाइल

आपकी कंपनी ने रेल मंत्रालय के लिए चौबीस चिह्नित रेलवे स्टेशन परिसरों पर बहुउद्देशीय परिसरों के विकास का कार्य किया था। सभी स्टेशनों पर निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

कंपनी ने इलाहबाद, हुबली, मैसूर, बर्धमान, हैदराबाद, बिलासपुर, जम्मू, उदापूर, हरिद्धार आदि में तीसरे पक्षों को 20 एमएफसी उप–पट्टे पर दिए हैं। तारापीठ, एल्लेप्पी, दीघा और सिलिगुडी में शेष एमएसी को उप–पट्टे पर दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

आपकी कंपनी ने म्यामार में त्रिपक्षीय राजमार्ग के तमु–क्यिंगोने–कलेवा (टीकेके) पर पहुंच मार्ग सहित 69 पुलों के निर्माण कार्य हेतु विदेश मंत्रालय (भारत सरकार) के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और डीपीआर तैयार करेने की परामर्शदाता परियोजना को सफलतापूर्वक सम्पन्न कर दिया है। इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी म्यामार में त्रिपक्षीय राजमार्ग के तमु–क्यिंगोने–कलेवा (टीकेके) पर पहुंच मार्ग सहित 69 पुलों के निर्माण कार्य हेतु विदेश मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा पीएमएस के रूप में भी नियुक्ति की गई है। परियोजना के लिए ठेकेदार के चयन हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। तकनीबी बोली दिनांक 23.08.2016 को खोली गई है।

इरकॉन आईएसएल ने म्यामार के रखीने राज्य में मोंगत्वा – अलथंक्याव रोड परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु म्यामार सरकार से परामर्शदाता परियोजना भी प्राप्त की है। इसके लिए 22 अगस्त 2015 को करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

आपकी कंपनी को विदेश मंत्रालय (एमईए) के लिए म्यामार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.2 तक पलेटवा से भारत–म्यामार सीमा (ज़ोरिनपुई) तक राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टताओं पर दो लेन वाली सड़क का निर्माण कार्य के लिए पीएमसी के रूप में भी नियुक्त किया गया है, जिसकी लागत 1518 करोड़ रूपए है। परियोजना के लिए ठेकेदार के चयन हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई है जिन्हें 10 नवंबर 2016 को खोला जाएगा।

आपकी कंपनी विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यथा भारतीय पावर ग्रिड निगम लिमिटेड (पीजीसीआईएलप), भारतीय नवीकरणीय उर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए), साउथ इस्ट कोल फील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) उवं उर्जा वित्त निगम (पीएफसी) के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में शौचालय ब्लॉकों के प्रावधान का कार्य कर रही है।

आपकी कंपनी के पास जम्मू में पर्यावरण प्रबंधन नियोजन प्रयोगशाला है, जिसे दिनांक 11.09.2015 को एनएबीएल क्षरा मान्यता प्रदान की गई है और यह दिनांक 10.09.2017 तक वैध है और यह जम्मू और कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रयोगशाला है। अब यह प्रयोगशाला संभावित ग्राहकों के लिए विभिन्न परीक्षणों के आयोजन के लिए पूर्णत प्रचालनिक है और इसने व्यवसाय प्राप्त करने के लिए विपणन प्रयास आरंभ कर दिए हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनएबीएलब

स्वीकृती के अनुसार जल और वायु नमूनों के एकत्रण और विश्लेषण सहित प्रयोग एवं परीक्षण हेतु इसे प्रयोगशाला को इम्पैनल किया है।

निगमित शासन

आपकी कंपनी ने लागू नियमों, कानूनों, विनियमों का अनुपालन किया है और नैतिक रूप से व्यवसाय का पारदर्शी संचालन किया है। सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर लोक उपक्रम विभाग दिशानिर्देशों के पैरा 8.3 के अंतर्गत निगमित शासन की तिमाही अनुपालन रिपोर्ट संबंधित मंत्रालय (मंत्रालयों)/विभाग (विभागों) को भेजी गई है। अनुप्रयुक्त ब्यौरे को उपलब्ध कराने वाले निगमित शासन का एक पृथक खंड निदेशक की रिपोर्ट का भाग है।

आभारोक्ति

निदेशक मंडल और कंपनी की ओर से, मैं रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए), तथा इसके अतिरिक्त, अपनी धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा शेयरधारकों का, उनके निरंतर सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं कंपनी के कर्मचारियों के प्रयासों की भी सराहना करता हूं, जो हमारी सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति हैं। उनका समर्पण, विवेक, कड़ी मेहनत और मूल्यों की गहन भावना कंपनी को प्रगति की ओर अग्रसर करने की कुंजी है। अंत में, मैं अपने ग्राहकों, वेंडरों तथा साझेदारों को उनके विश्वास और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

ह/–
(हितेश खन्ना)
(अध्यक्ष)
(डीआईए न 02789681)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.09.2016

निदेशक की रिपोर्ट

निदेशक की रिपोर्ट

इरकॉन आईएसएल के गणमान्य शेयरधारकों,

आपकी कंपनी के निदेशकों को लखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, लेखपरीक्षक की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा सहित वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी के कार्यकलापों की 7वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है।

प्रचालन निष्पादन

क. आपकी कंपनी ने भरतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुविधाएं और जनसुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चिह्नित रेलवे स्टेशन परिसरों पर रेल मंत्रालय के लिए बहुउद्देशीय परिसरों के विकास का कार्य आरंभ किया निर्माण का भौतिक कार्य (वार्म शैल) 24 बहुउद्देशीय परिसरों यथा एल्लेप्पी, बर्धमान, दिघा, हरिद्वार, इंदौर, रामपुरहाट, रायपुर, सिलिगुड़ी, मदुरै, मैसूर, उदयपुर, इलाहबाद, बिलासपुर, ग्वालियर, हैदराबाद, हुबली, जबलपुर, जोधपुर, कन्नूर, राजगीर, तारापीठ, तिरुवल्ला, जम्मू (बजट होटल सहित एमएफसी) तथा जम्मू एएफसी (छोटा) आरंभ किया गया था। सभी स्टेशनों पर यह कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

इरकॉन आईएसएल ने 20 बहुउद्देशीय परिसरों को सफलतापूर्वक तीसरे पक्षों को उपपट्टे पर दे दिया है। तारापीठ, एल्लेप्पी, दीघा और सिलिगुडी में शेष एमएसी को उप–पट्टे पर दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हें प्रदान किए जाने हेतु सक्रीय रूप से विचार किया जा रहा है।

वर्ष के दौरन कंपनी ने उप–पट्टेदार द्वारा किराए का भुगतान न किए जाने के कारण 3 दिसंबर 2015 को कन्नूर के एमएफसी का उप पट्टा करार रद्द कर दिया है।

ख. आपकी कंपनी ने म्यामार में त्रिपक्षीय राजमार्ग के तमु–क्वियंगोने–कलेवा (टीकेके) पर पहुंच मार्ग सहित 69 पुलों के निर्माण कार्य हेतु विदेश मंत्रालय (भारत सरकार) के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और डीपीआर तैयार करेने की परामर्शदाता परियोजना को सफलतापूर्वक सम्पन्न कर दिया है। इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी म्यामार में

त्रिपक्षीय राजमार्ग के तमु–क्यिंगोने–कलेवा (टीकेके) पर पहुंच मार्ग सहित 69 पुलों के निर्माण कार्य हेतु विदेश मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा पीएमएस के रूप में भी नियुक्ति की गई है। परियोजना के लिए ठेकेदार के चयन हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। तकनीबी बोली दिनांक 23.08.2016 को खोली गई है।

इरकॉन आईएसएल ने म्यामार के रखीने राज्य में मोंगत्वा – अलथंक्याव रोड परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु म्यामार सरकार से परामर्शदाता परियोजना भी प्राप्त की है। इसके लिए 22 अगस्त 2015 को करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

आपकी कंपनी को विदेश मंत्रालय (एमईए) के लिए म्यामार के चिन राज्य में किमी 0. 00 से किमी 109.2 तक पलेटवा से भारत–म्यामार सीमा (ज़ोरिनपुई) तक राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टताओं पर दो लेन वाली सड़क का निर्माण कार्य के लिए पीएमसी के रूप में भी नियुक्त किया गया है, जिसकी लागत 1518 करोड़ रूपए है। परियोजना के लिए ठेकेदार के चयन हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई है जिन्हें 10 नवंबर 2016 को खोला जाएगा।

ग. इरकॉन आईएसएल, इरकॉन की श्रीलंका और मलेशिया परियोजना के लिए ''श्रमशक्ति आपूर्ति'' का कार्य भी कर रही है और इसके लिए इरकॉन के साथ करारों पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। दिनांक 31 मार्च 2016 को श्रीलंका में कंपनी के 11 कर्मचारी और मलेशिया में कंपनी के 07 कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान श्रीलंका से 19 कर्मचारियों और मलेशिया से 30 कर्मचारियों को को वापस बुला लिया गया है।

घ. आपकी कंपनी इरकॉन की श्रीलंका परियोजनां के लिए ''मशीनरी पट्टे पर देने'' का कार्य भी कर रही है। दिनांक 22.11.2013 में इरकॉन आईएसएल ने इरकॉन की श्रीलंका परियोजना के लिए एक डियोमेटिक टेम्परिंग मशीन को सफलतापूर्वक संस्थापित किया था और यह मशीन श्रीलंका परियोजना में प्रचालनिक है। इसके अतिरिक्त, इरकॉन आईएसएल को पुरानी रेलपथ मशीने (09 संख्या) बेचने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। जिनमें से 02 मशीने पश्चिम रेलवे द्वारा

खरीदी गई है और उसे वलसाड (गुजरात) में रखा गया है। अन्य सात मशीनों के लिए, प्रापण की प्रक्रिया प्रगति पर है। मशीनों की अवधिक ओवरहॉलिंग और अनुरक्षण के पश्चात, इन्हें भारत और तीसरे पक्षों के पास लगाया जाएगा।

ड. कंपनी की वर्तमान गतिविधियां अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और इस क्षे; में परामर्श से संबंधित हैं। इन गतिविधियों के अतिरिक्त, अपने निरंतर प्रयासों के कारण, इरकॉन को विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से सीएसआर गतिविधियां प्राप्त हुई हैं। आपकी कंपनी ने विभिन्न पीएसयू के लिए स्वच्छ भारत अभियान के कार्य को निष्पादित किया था। इरकॉन आईएसएल ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में शौचालय ब्लॉकों के निर्माण के लिए दिनांक 26.11.2014 को भारतीय पावर ग्रिड निगम लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में शौचालय ब्लॉकों के निर्माण के लिए दिनांक 13.1.2015 को भारतीय नवीकरणीय उर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में शौचालय ब्लॉकों के निर्माण के लिए दिनांक 22.05.2015 को भारतीय वित्त निगम लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उपर्युकत सार्वजनिक क्षे; के उपक्रमों हेतु स्वच्छ भारत अभियान का संक्षिप्त ब्यौरा निम्ननुसार है और इसे वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी द्वारा सफलतापूर्वक पूरा यिका गया है, और इन्हें 15 अगस्त 2015 से पूर्व पूरा किया गया थ।

पीएसयू का नाम	राज्य	निर्मित शौचालयों की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रूपए में)
भारतीय पावर ग्रिड निगम लिमिटेड (पीजीसीआईएलं)	बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश	2011	9.78
भारतीय नवीकरणीय उर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीएं)	हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ	531	4.16

उर्जा वित्त निगम लिमिटेड (पीएफसीं)	राजस्थान	525	10.17
साउथ ईस्ट कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, ओडीशा	1758	19.43
कुल		**4825**	**43.54**

च. धारक कंपनी ने इरकॉन आईएसएल को जम्मू में पर्यावरण प्रबंधन नियोजन प्रयोगशाला (ईएमपी) सुपुर्द की है। इस मशीन को नवंबर 2013 के अंतिम सप्ताह में प्रचालनिक बनाया गया था। परियोजना प्राधिकरणों की आवश्यकता के अनुसार नियमित आधार पर जल, वायु एवं ध्वनि संबंधी विभिन्न परीक्षण किए जा रहे हैं। एनएबीएल की मान्यता के लिए आवेदन अक्तूबर 2014 को जमा किया गया था जिसके पश्चात ईएमपी प्रयोगशाला का प्री–ऑडिट किया गया और वह सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया। अंतिम ऑडिट भी सफलतापूर्वक पूरा हो गया था अैर कंपनी की ईएमपी प्रयोगशाला को राष्ट्रीय परीक्षण एवं केलिपरेशन प्रयोगशाला मान्यता बोर्ड (एनएबीएल) से दिनांक 11ऋ09ऋ2015 को मान्यता हो गई है प्राप्त है और दिनांक 10.09.2015 को जम्मू और कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रयोगशाला है। अब यह प्रयोगशाला संभावित ग्राहकों के लिए विभिन्न परीक्षणों के आयोजन के लिए पूर्णत प्रचालनिक है और इसने व्यवसाय प्राप्त करने के लिए विपणन प्रयास आरंभ कर दिए हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य प्रदूषण बोर्ड ने विभिन्न प्रयोगों एवं परीक्षणों के लिए इस प्रयोगशाला को इम्पैनल किया है, जिसमें एनएबीएल स्वीकृति अनुसार जल और वायु के नमूनों का एकत्रण और विश्लेषण शामिल है।

वित्तीय विशेषताएं

दिनांक 31.03.2016 को समाप्त वष के वित्तीय निष्पादन के महत्वपूर्ण सूचकांक निम्नानुसार हैं :

वित्तीय निष्पादन संकेतक

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2015-16	2014-15
1.	प्राधिकृत शेयर पूंजी	65.00	65.00
2.	अंशदायी तथा प्रदत्त शेयर पूंजी	65.00	40.00
3.	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	-	25.00
4.	आरक्षित निधि व अधिशेष	37.34	23.11
5.	प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	-	0.90
6.	कुल राजस्व	81.87	41.51
7.	प्रचालनों से राजस्व	74.05	36.39
8.	कर पूर्व लाभ	22.61	20.29
9.	कर पश्चात लाभ	14.22	10.93
10.	निवल संपत्ति	102.33	88.11
11.	प्रति शेयर आमदनी (रूपए)	2.32	2.73

प्रचालनों से राजस्व

प्रचालनों से राजस्व 36.39 करोड़ रूपए से कम होकर 74.05 करोड़ रूपए हो गया है। कर पश्चात लाभ भी 10.93 करोड़ रूपए से कम होकर 14.22 करोड़ रूपए हो गया है।

शेयर पूंजी

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 65 करोड़ रूपए की है, जिसमें प्रति 10 रूपए के 6,50,00,000 इकिवटी शेयर हैं। कंपनी की इश्युड, अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी शेर पूंजी 40 करोड़ रूपए से बढ कर 65 करोड रूपए (दिनांक 25.05.2015 को) हो गई है, जिसमें धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसकी कंपनी में 100 प्रतिशत इक्विटी धारिता है, के मौजूदा शेयरधारकों को 2,50,00,000 इकिवटी शेयरों के राइट इश्यु के अनुसार में प्रत्येक 10 रूपए के 6,50,00,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

अरक्षित ऋण

कंपनी ने इरकॉन (धारक कंपनी) से वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है। आरंभिक शेष 31.50 करोड़ रूपए था। वर्ष के दौरान, 4.00 करोड़ रूपए के का पुनर्भुगतान किया गया है और दिनांक 31 मार्च 2016 को बकाया ऋण **27.50 करोड़ रूपए** है। वर्ष के दौरान ऋण पर प्रदत्त/देय ब्याज 3.91 करोड़ रूपए है।

लाभांश

कंपनी के संसाधनों के संरक्षण और कंपनी के विकास के लिए लाभों को प्राप्त करने हेतु, निदेशक मंडल दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर किसी प्रकार के लाभांश की सिफारिश नहीं करता है।

प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन, ऊर्जा संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास आदि

पर्यावरण पर समान तीव्रता के साथ बल दिया जा रहा है और वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को बहुउद्देशीय परिसरों में ग्रीन बिल्डिंग के व्यवहारिक तत्वों को शामिल करके तथा विभिन्न पीएसयू के लिए स्वच्छ भारत अभियान कार्यों के निष्पादन द्वारा पूरा किया गया था।

विदेशी विनियम आमदनियां और निर्गम

इरकॉन की श्रीलंका और मलेशिया परियोजनाओं से श्रमशक्ति आपूर्ति, इरकॉन की श्रीलंका परियोजना के लिए संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर दिए जाने तथा म्यामार में पीएमसी परियोजना के कारण वर्ष 2015–16 में 13.70 करोड़ रूपए का निवल विदेशी विनिमय आमदनियां प्राप्त हुई हैं।

कार्मिक विकास

वर्ष के दौरान कंपनी में मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध विद्यमान रहा। दिनांक 31 मार्च, 2016 को कंपनी की कुल श्रमशक्ति संख्या 50 कर्मचारी हैं जिसमें इरकॉन (धारक कंपनी) से प्रतिनियुक्ति पर 11 कर्मचारी, इरकॉन की श्रीलंका परियोजना के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त 11 ठेके के कर्मचारी और इरकॉन की श्रीलंका परियोजना के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त 07

ठेके के कर्मचारी तथा निगमित कार्यालय में 7 ठेके के कर्मचारी तथा भारतीय परियोजनाआं में तैनात 12 ठेके के कर्मचारी शामिल हैं।

इस रिपोर्ट की तिथि को इरकॉन आईएसएल के कुल कर्मचारियों की संख्या 48 है।

आपकी कंपनी ने क्रियात्मक और सामान्य प्रबंधन के क्षेत्रों में प्रशिक्षण के माध्यम से अपने मानव संसाधन की क्षमता के निर्माण में कदम उठाए हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान इरकॉन आईएसएल के कार्मिकों को राजमार्ग और पुलों के संबंध में संगोष्ठियों के माध्यम से 10 कार्य दिवस का इन–हाउस प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

अनुपालन

राष्ट्रपति के निदेश

वर्ष के दौरान कोई राष्ट्रपति निदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

समझौता ज्ञापन

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए डीपीई समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों के अनुपालन में, आपकी कंपनी ने मार्च 2015 के दौरान वर्ष 2015–16 हेतु धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसी तर्ज पर, दिनांक 29 जुलाई 2016 को वर्ष 2016–17 हेतु धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए किए थे।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है, जिसने कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के साथ पठित अनुच्छेद 134(3) की शर्तों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान प्रतिवर्ष 60 करोड़ रूपए या प्रति माह 5 लाख रूपए से अधिक का पारिश्रमक प्राप्त किया हो।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

पारदर्शिता के संवर्धन एवं संवर्धित जवाबदेही के लिए, कंपनी में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के लिए तंत्र विद्यमान है। इस अधिनियम के अंतर्गत देश के नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए सीपीआईओ/एपीआईओ को नामित किया गया है।

कंपनी के अपील प्राधिकारी, केन्द्रीय जन–सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा सहायक जन–सूचना अधिकारी (एपीआईओ) के नामों सहित आवश्यक अद्यतन सूचना कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्राप्त शिकायतों का उत्तर निर्धारित समय–सीमा के भीतर दिया जाता है। वर्ष के दौरान कंपनी को 07 शिकायत प्राप्त हुई हैं, जिनका समय पर उत्तर दिया गया हैं। **वर्ष की समाप्ति के पश्चात**, एक शिकायत प्राप्त हुई हैं, जिसका उत्तर भी समय पर दिया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी

कंपनी की अपनी वेबसाइट http//www.irconisl.com उपलब्ध है जिसमें कंपनी का प्रोफाइल, परियोजनाएं, वार्षिक रिपोर्टें, निविदाएं, सम्पर्क ब्यौरा आदि उपलब्ध कराया गया है। वर्ष के दौरान नए निदेशकों और परियोजनाओं, वार्षिक रिपोर्टों, निविदाओं, संविदाओं, आरटीआई, संपर्क ब्यौरा आदि को अद्यतन किया गया था। यह वेबसाइट धारक कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org के साथ भी लिंक है।

वार्षिक रिटर्न का सार

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियसम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 92(3) और खंड 134(3)(क) के अनुसरण में है, फार्म **एमजीटी–9** में वार्षिक रिटर्न का सार निदेशक मंडल की रिपोर्ट के भाग के रूप में **अनुबंध–क** पर उपलब्ध है।

खंड–188 के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं और व्यवस्थाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों को या तो व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के रूप में या आर्म लैंथ आधार पर निष्पादित किया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 188(1) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं और व्यवस्थाओं का ब्यौरा फार्म **एओसी–2** के रूप में **अनुबंध–ख** पर संलग्न है।

एकीकृत रिपोर्ट

प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट, निपगमित शासन रिपोर्ट और सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस निदेशक रिपोर्ट के अभिन्न अंग हैं और इन्हें **क्रमशः अनुबंध ग, घ तथा ड.** पर प्रस्तुत किया गया है।

प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट कम्पनी के कार्यों, व्यावसायिक वातावरण, मिशन और उद्देश्यों, क्षेत्रीय तथा सगमेंटवार प्रचालनिक निष्पादन, शक्तियों, जोखिमों तथा चिंताओं और मानव संसाधन तथा आंतरित नियंत्रण प्रणाली ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट, निगमित शासन पर कंपनी के दर्शन, कंपनी के मुख्य मूल्य, निदेशक मंडल तथा इसकी समितियों की संरचना और उनका ब्यौरा एवं वर्ष 2015–16 क दौरान बोर्ड में शामिल होने वाले निदेशकों का प्रोफाइल एवं अन्य संगत प्रकटन, आदि उपलब्ध कराती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 204 तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने कंपनी की सचिवीय संपरीक्षा के लिए मैसर्स के.के.सिंह एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को नियुक्त किया है। लेखापरीक्षा से प्राप्त फार्म सं. एमआर–3 में सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट **अनुबंध–ड.** पर संलग्न है। सचिवीय लेखापरीक्षक ने अवलोकन किया है कि कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। आपकी कंपनी ने उल्लेख किया गया है कि पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण बोर्ड में सभी निदेशकों की नियुक्ति इरकॉन (धारक कंपनी) द्वारा की गई है। तदनुसार, धारक कंपनी से अनुरोध किया गया है कि इरकॉन आईएसएल के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाए।

कंपनी के लेखों के संबंध में मैसर्स कपूर गोयल एंड कंपनी द्वरा **लेखापरीक्षक रिपोर्ट** में कोई प्रतिकूल टिप्पणी या खामी प्रस्तुत नहीं की गई है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और जोखिम प्रबंधन

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और जोखिम प्रबंधन का ब्यौरा प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3) में यथापेक्षित निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 134(5) के अनुसार, कम्पनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है किः–

क. वित्तीय लेखे तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है और इनमें कोई विशेष विचलन नहीं हुआ है बशर्ते वार्षिक वित्तीय लेखों में अन्यथा उल्लेख किया गया हो ।

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया था और उन्हें निरन्तर लागू किया गया था और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी की कार्य स्थिति और वर्ष के लिए कंपनी के प्रोफाइल का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके ।

ग. निदेशकों ने परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छलकपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रख–रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है।

घ. निदेशकों ने दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को ''गोइंग कंसर्न'' आधार पर तैयार किये हैं।

ड. निदेशकों ने सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और ऐसी प्रणालियां उपयुक्त थीं और कुशलतापूर्वक कार्य कर रहीं थीं।

निदेशक मंडल तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के दौरान निदेशक मंडल की पांच बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें जून 2015, दिसंबर 2015 प्रत्येक तिमाही में एक बैठक और सितंबर को समाप्त तिमाही में दो बैठकें आयोजित की गईं।

इस रिपोर्ट की तिथि को को निम्न निदेशक कार्यरत हैं :

1.	श्री हितेश खन्ना (डीआईएन 02789681)	11.03.2011 से आगे
2.	श्री अनिल जैन (डीआईएन 05283217)	10.05.2012 से आगे
3.	श्री सुरजीत दत्ता (डीआईएन 06687032)	01.09.2013 से आगे
4.	श्री ए.के.गोयल (डीआईएन 05308809)	01.12.2013 से आगे

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद–203, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2014 को प्रभाव में आया था, के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी में श्री सी.के.नायर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अनिकेत खेत्रपाल, मुख्य वित्तीय अधिकारी और सुश्री दीपशिखा गुप्ता, कंपनी सचिव को दिनांक 20.01.2015 से कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रूप में नियुक्त किया गया था।

बोर्ड समितियां

कंपनी में निम्नलिखित बोर्ड समितियां विद्यमान हैं:

1. लेखापरीक्षा समिति
2. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति
3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

लेखापरीक्षा समिति, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना से संबंधित ब्यौरे को निगमित शासन रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

इरकॉन आईएसएल के सदैव ही राष्ट्र उत्थान के प्रति सकारात्मक दर्शन, नैतिक पद्धितियां और अथक प्रयास रहे हैं। कंपनी अधिनियम के अनुच्छेद 135 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है जिसमें श्री ए.के.गोयल (अध्यक्ष), श्री अनिल जैन और श्री सुरजीत दत्ता, सदस्य के रूप में शामिल हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के अनुसार सीएसआर के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में भारत में अपने प्रचालनों से कंपनी का निवल लाभ 500.00 लाख रूपए से कम है। तथापित, डीपीई समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशा 2015–16 के

अनुपालन में कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 10.36 लाख रूपए सीएसआर के प्रति खर्च किए हैं। एमओये 2015–16 में गैर–वित्तीय मापदंड निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों को निष्पादित करना था, जिसके अंतर्गत हमने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शिक्षा और स्वच्छता के संवर्धन पर सहमति व्यक्त की है। इस संबंध में, हमें हमारे कार्य के लिए उप निदेशक (शिक्षा) दक्षिण दिल्ली से प्रशंसा हेतु प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।

बोर्ड द्वारा विकास के क्षेत्रों यथा शिक्षा, साक्षरता और पर्यावरण धारणीयता और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में बल दिया गया है को अपनाया है और इसे कंपनी की वेबसाइट यथा www.irconisl.com पर अपलोड किया गया है। उपर उल्लिखित अनुसार कंपनी ने शिक्षा और स्वच्छता के संवर्धन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में सीएसआर गतिवधियां आरंभ की हैं, जिसके अंतर्गत दिल्ली के 14 सरकारी स्कूलों में वाटर कूलर, वाटर प्यूरिफायर, हैंगिंग गार्बेज बिन तथा ड्यूल डैस्क उपलब्ध कराए हैं और आगामी वर्षों में इस क्षेत्र में सकारात्मक और व्यापक अंतर लाने का उद्देश्य है।

जमा राशियां

वर्ष के आरंभ में आपकी कंपनी के पास कोई जन जमा राशियां धारित नहीं है ना ही वर्ष के दौरान जनता से किसी प्रकार की जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

लेखापरीक्षक

क. सांविधिक लेखापरीक्षक

वर्ष 2015–17 के लिए कम्पनी के लेखों की लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षक के रूप में कपूर गोयल एंड कंपनी, सनदी लेखाकारों की नियुक्ति की गई थी।

ख. सचिवीय लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2015–17 के लिए कम्पनी की सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए मैसर्स के.के.सिंह एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को नियुक्त किया गया है।

ग. आंतरिक लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कम्पनी की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2015–16 में आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स राहुल जैन एंड एसोसिएट्स, लागत एवं प्रबंधन लेखाकारों को नियुक्त किया गया है।

कंपनी द्वारा अनुसरण किए गए लेखांकन मानक (इंड एएस को पहली बार स्वीकार किया गया)

कंपनी के वित्तीय विवरण को कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुपालन में तथा इस अधिनियम के संगत प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों, जो लागू हों के अनुपालन में तैयार किया गया है।

आभारोक्ति

हम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, धारक कंपनी तथा रेल मंत्रालय, रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए), विदेश मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों का कंपनी के प्रति उनकी निरंतर रूचि और सहयोग के लिए तथा कंपनी को प्रगति पथ पर आगे ले जाने के लिए कर्मचारियों के प्रयासों की भी प्रशंसा एवं धन्यवाद करते हैं।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/–
(हितेश खन्ना)
अध्यक्ष
(डीआईएन 02789681)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.08.2016

अनुबंध–क

फॉर्म सं. एमजीटी–9

वार्षिक रिटर्न का सार

31 मार्च 2016 को समाप्त वित्त वर्ष को

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1)के अनुसरण में)

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौराः

सीआईएन	यू 45400डीएल2009जीओआई194792
पंजीकरण तिथि	30 सितंबर, 2009
कंपनी का नाम	इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एंड सर्विसेज लिमिटेड
कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	शेयर द्वारा कंपनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरा	प्लॉट सं सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017 दूरभाष 011–29565666
क्या सूचीबद्ध कंपनी है	नहीं
रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता तथा संपर्क ब्यौरा	लागू नहीं

II. कंपनी का प्रधान व्यावसायिक गतिविधियां:

कंपनी की सभी व्यावसायिक गतिविधियां जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं, निम्नानुसार हैं:

क्र.स.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद/ सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1	भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बहुउद्देशीय परिसरों (एमएफसी) आदि के अवसंरचना के निर्माण के क्षेत्र में नियोजन, अभिकल्पन, विकास, सुधार, कार्य आरंभ, प्रचालन और अनुरक्षण आदि करने हेतु।	45201	18.02 प्रतिशत
3	सीएसआर और स्वच्छ भारत अभियान परियोजनाओं का निष्पादन	–	50.25 प्रतिशत

III. धारक कंपनी, सहायक कंपनी तथा संबद्ध कंपनियों का विवरणः

क्र.सं.	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/ सहायक/ संबद्ध कंपनी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुच्छेद
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	यू45203डीएल1976जीओआई008171	धारक कंपनी	100 प्रतिशत	2(46)

IV. शेयर धारिता पैटर्नः

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रुप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

i) श्रेणीवार शेयर धारित

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/एचयूएफ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) केन्द्र सरकार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ग) राज्य सरकार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) निकाय निगम	—	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	—	6,50,00,000	6,50,00,000	100%	—
ड.) बैंक/वित्तीय संस्थान		—	—	—	—	—	—	—	—
च) कोई अन्य		—	—	—	—	—	—	—	—
उप कुल (क) (1)	—	**4,00,00,000**	**4,00,00,000**	**100%**	—	**6,50,00,000**	**6,50,00,000**	**100%**	—
(2) विदेशी									
क) एनआरआई – व्यक्तिगत	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) अन्य – व्यक्तिगत									
ग) निकाय निगम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) बैंक/वित्तीय संस्थान									
ड.) कोई अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उप कुल (क) (2)	—	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	—	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	—
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क) = (क)(1)+(क)(2)	—	4,00,00,000	4,00,00,000	100%	—	6,50,00,000	6,50,00,000	100%	—
ख. जन शेयरधारिता									
(1) संस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
क) म्यूचुवल फंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ग) केन्द्र सरकार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) राज्य सरकार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ड.) उपक्रम पूंजी निधि									
च) बीमा कंपनियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—
छ) एफआईआई			—	—	—	—	—	—	—
ज) विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—
झ) अन्य (विनिर्दिष्ट)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उपकुल (ख)(1):		**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

(2) गैर संस्थागत									
क) निकाय निगम									
i) भारतीय	—	—			—	—	—	—	—
ii) विदेशी	—	—			—	—	—	—	—
ख) व्यक्तिगत	—	—			—	—	—	—	—
व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा 1लाख रुपए तक समान्य शेयर पूंजी का धारण	—	—			—	—	—	—	—
ii) व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा 1 लाख रुपए से अधिक समान्य शेयर पूंजी का धारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट)	—	—	—	—	—	—		—	—
उप कुल (ख)(2)	—	शून्य	शून्य	शून्य	—	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल जन शेयरधारिता (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)	—	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	.	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सकल योग (क +ख +ग)		**4,00,00,000**	**4,00,00,000**	**100%**	—	**6,50,00,000**	**6,50,00,000**	**100%**	—

ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र.सं	शेयरधारकों के नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान धारित शेयरों मे प्रतिशत परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का प्रतिशत	
1.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 6 नामिति	**4,00,00,000**	**100%**	—	**6,50,00,000**	**100 %**	—	**100%**
	कुल	**4,00,00,000**	**100%**	—	**6,50,00,000**	**100%**	—	100%

iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया विनिर्दिष्ट करें यदि कोई परिवर्तन नहीं है)

विवरण	**वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता**		**वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता**	
	शेयरों की संख्या	**कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत**
वर्ष के आरंभ में	**4,00,00,000**	61.54 प्रतिशत	**4,00,00,000**	61.54 प्रतिशत
वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस /स्वेट इक्विटी आदि):	**2,50,00,000**	38.46 प्रतिशत	**6,50,00,000**	38.46 प्रतिशत

वर्ष के अंत में	**6,50,00,000**	100 प्रतिशत	**6,50,00,000**	100 प्रतिशत

iv) शीर्ष 10 शेयरधारकों का शेयरधारण पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):

प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों हेतु	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
वर्ष के आरंभ में				
वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस /स्वेट इक्विटी आदि):	**शून्य**			
वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए हैं)				

v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

प्रत्येक निदेशक और केएमपी हेतु	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
वर्ष के आरंभ में				
वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाते हुए (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस /स्वेट इक्विटी आदि) वर्ष के दौरान तिथिवार वृद्धि/कमी :	**शून्य**			
वर्ष के अंत में				

V. ऋणग्रस्तता :

बकाया ब्याज/अर्जित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता :

(करोड़ रुपए में)

	जमा को छोड़कर रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	–	31.50	–	31.50
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	–	0.20	–	0.20
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	–	शून्य	–	शून्य
कुल (i+ii+iii)	–	31.70	–	31.70
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* परिवर्धन	–	शून्य	–	शून्य
* कमी	–	4.00	–	4.00
निवल परिवर्तन	–	(4.00)	–	(4.00)
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	–	27.50	–	27.50
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	–	0.20	–	0.20
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	–	शून्य	–	शून्य

कुल (i+ii+iii)	–	27.70		27.70

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/या प्रबंधक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक *:

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम (सम्पर्ण वर्ष 2016–17)					कुल राशि
1	सकल वेतन						
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन						
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य						
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ						
2	स्टॉक विकल्प				लागू नहीं		
3	स्वेट इक्विटी						
4	कमीशन – लाभ के प्रतिशक के रूप में – अन्य, उल्लेख करें						
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)						
	कुल (क)						
	अधिनियम के अनुसार सीमा						

***इरकॉन आईएसएल के बोर्ड में धारक कंपनी द्वारा नामित 4 अंशकालीन निदेशक हैं जो कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं। अंशकालीन निदेशकों को कोई बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है।**

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम					कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक						
क	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क						
ख	कमीशन						
ग	अन्य, (उल्लेख करें)						
	कुल (ख 1)						
2	अन्य गैर अधिशासी निदेशक						
क	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क			लागू नहीं			
ख	कमीशन						
ग	अन्य, कृपया स्पष्ट करें						
	कुल (ख 2)						
	कुल (ख) = (1 + 2)						
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक						
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा						

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		मुख्य अधिशासी अधिकारी	कंपनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी	मुख्य अधिशासी अधिकारी
1	सकल वेतन				
(क)	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	32,71,858	3,19,935	8,76,951	
(ख)	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2)के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य	4,123	शून्य	4,063	
(ग)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	
2	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	
3	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	
4	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	
	–लाभ के % के रूप में				
	–अन्य, स्पष्ट करें				
5	अन्य, स्पष्ट करें				
	क) अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	4,94,411	-	99,021	
	ख) निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन	7,26,503	42,229	4,88,738	
	कुल	44,96,895	3,62,164	9,80,035	
	अधिनियम के अनुसार सीमा				

VII. दंड/सज़ा/अपराधों की कंपाउंडिंग

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड/सज़ा/कंपाउंडिंग फीस का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	अपील, यदि की गई है (विवरण दें)
दंड					
सज़ा					
कंपाउंडिंग			शून्य		
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
दंड					
सज़ा					
कंपाउंडिंग					

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/–
(हितेश खन्ना)
(अध्यक्ष)
(डीआईएन 02789681)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.08.2016

फार्म सं– एओसी–2

अनुबंध–ख

फार्म सं– एओसी–2

वर्ष 2016–17 (1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2016 तक) तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्म–लैंथ संव्यवहारों सहित कंपनी अधिनियम, 2013, के अनुच्छेद 188 (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म

1 संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं : **शून्य**

2 सामग्री संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं

क्र.सं	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
1	**इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड धारक कंपनी**	धारक कंपनी, इरकॉन द्वारा उपलब्ध कार्यालय स्थल	पट्टा करार तिथि 11 मई 2016 अवधिः 01 अप्रैल 2014 से 3 वर्ष	दिनांक 01.04.2014 से 03 वर्ष की अवधि के लिए कार्यालय स्थल पट्टे पर प्रदान किया गया है। दिनांक 1 अप्रैल 2014 से आगे किराए के रूप में 1,34,238.60 रूपए प्रति माह प्रभारित किए।	लागू नही	शून्य

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

(हितेश खन्ना)
(अध्यक्ष)
(डीआईएन 02789681)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.08.2016

अनुबंध –ग

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

विहंगावलोकन

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएलएस) रेल मंत्रालय के अधीन इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) अनुसूची 'क', मिनी रत्न – श्रेणी–I की कंपनी है की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रुप में 30 सितंबर 2009 को निगमित हुई थी जो कि भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुविधाएं व सहूलतें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रेल की भूमि पर बहुउद्देशीय परिसरों (एमएफसी) के नियोजन, अभिकल्प, विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए आरएलडीए के साथ धारक कंपनी द्वारा समझौता ज्ञापन का परिणाम है। 20 स्टेशनों पर निर्माण (वॉर्म शैल) का भौतिक कार्य किया गया था। कंपनी ने 23 बहुउद्देशीय परिसरों को सफलतापूर्वक तीसरे पक्षों को उपपट्टे पर दे दिया है।

उपर्युक्त उद्देश्य कंपनी के भावी विकास के लिए सीमित थे और इसलिए, कंपनी ने विभिन्न अन्य क्षेत्रों में अपने व्यवसाय को फैलाया और इस प्रकार इसके उद्देश्यों में संशोधन हुआ।

व्यवसाय वातावरण

वैश्विक उतारचढाव और खराब मानसून के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में 2015–16 के दौरान विकास दर 7.6 प्रतिशत तक बढी है इस प्रकार यह विश्व में सर्वाधिक विकसित होने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई है।

भारत ने क्रय शक्ति समता (पीपीपी) की दृष्टि से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के वैश्विक विकास में अपना योगदान करते हुए निरंतर वृद्धि की है। पीपीपी की दृष्टि से वैश्विक विकास में भारत के योगदान में वृद्धि हुई है जो 2001 से 2007 की अवधि के दौरान औसतन 8.3 प्रतिशत से बढकर वर्ष 2014 में 14.4 प्रतिशत हो गया है।

देश में सकारात्मक आर्थिक वातावरण के परिदृश्य में, कंपनी निम्नलिखित क्षेत्रों में अवसरों को प्राप्त करने हेतु अपनी तत्परता में सुधार कर रही है:

- भारत सरकार की परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टे तैयार करना।
- विभिन्न निजी/सरकारी एजेंसियों के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पी.एम.सी)।
- निर्माण–प्रचालन–हस्तांतरण(बीओटी) आधार पर रियल इस्टेट परियोजनाएं।

- परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) अध्ययन।
- सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर) परियोजनाएं।

दृष्टिकोण

वर्ष 2015–16 के लिए धारक कम्पनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ अपने समझौता ज्ञापन में उल्लिखित अनुसार कंपनी के विजन/मिशन और उद्देश्य निम्नानुसार हैं:–

विजन/मिशन

विशिष्टता प्राप्त अवसंरचना विकासकर्ता के रुप में पहचान बनाना तथा पर्यावरण, गुणवत्ता व सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए अवसंरचना परियोजनाओं के सभी क्षेत्रों के लिए विख्यात सेवाप्रदाता के रुप में स्वयं को स्थापित करना ।

उद्देश्य

i) वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंत तक 10 करोड़ रुपए के प्रचालनिक लाभ सहित 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त करना।
ii) भारत तथा विदेश में अवसंरचना प्रबंधन परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना।

वित्तीय निष्पादन

कंपनी ने वर्ष 2015–16 के दौरान 74.05 करोड़ रूपए का प्रचालनिक राजस्व रिकार्ड किया है। वर्ष के दौरान 22.61 करोड़ रूपए का कर पूर्व लाभ और 14.22 करोड़ रूपए का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है। दिनांक 31 मार्च 2016 को कंपनी की निवल संपत्ति 102.33 करोड़ रूपए हो गई है।

प्रचालनिक निष्पादन

इरकॉन आईएसएल ने 20 बहुउद्देशीय परिसरों को तीसरे पक्षों को सफलतापूर्वक उपपट्टे पर दिया है। वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी ने जम्मू (सुविधा केन्द्र) को उप पट्टे पर दिया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान 16 बहुउद्देशीय परिसरों को पट्टे पर दिया है, जिनमें 11 होटल सहित एमएफसी हैं यथा हरिद्वार, ग्वालियर, उदयपुर, रायपुर, कन्नूर, हुबली, इलाहबाद, ग्वालियर, जम्मू, जबलपुर शामिल हैं तथा दुकानों और फूड प्लाजा की यात्री सुविधा वाले 5 एमएफसी यथा बर्धमान, हैदराबाद, रामपुरहाट, बिलासपुर और थिरूवल्ला शामिल हैं।

आपकी कंपनी ने म्यामार में त्रिपक्षीय राजमार्ग के तमु–क्वियंगोने–कलेवा (टीकेके) पर पहुंच मार्ग सहित 71 पुलों के निर्माण कार्य हेतु विदेश मंत्रालय (भारत सरकार) के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और डीपीआर तैयार करेने की परामर्शदाता परियोजना को सफलतापूर्वक सम्पन्न कर दिया है। इरकॉन आईएसएल ने म्यामार के रखीने राज्य में मोंगत्वा – अलथंक्याव रोड परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु म्यामार सरकार से परामर्शदाता परियोजना भी प्राप्त की है। इसके लिए 22 अगस्त 2015 को करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

आपकी कंपनी को विदेश मंत्रालय (एमईए) के लिए म्यामार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.2 तक पलेटवा से भारत–म्यामार सीमा (ज़ोरिनपुई) तक राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टताओं पर दो लेन वाली सड़क का निर्माण कार्य के लिए पीएमसी के रूप में भी नियुक्त किया गया है, जिसकी लागत 1518 करोड़ रूपए है। परियोजना के लिए ठेकेदार के चयन हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई है जिन्हें 10 नवंबर 2016 को खोला जाएगा।

आपकी कंपनी विभिन्न भारतीय पावर ग्रिड निगम लिमिटेड (9.78 करोड़ रूपए की लागत पर 2011), पीएफसी (10.17 करोड़ रूपए की लागत पर 525), आईआरईडलीए (4.16 करोड़ रूपए के लिए 531) और एसईसीएल (19.43.17 करोड़ रूपए की लागत पर 1758), के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में शौचालय ब्लॉकों के प्रावधान का कार्य कर रही है।

आपकी कंपनी श्रीलंका और मलेशिया में इरकॉन की परियोजना के लिए भी श्रमशक्ति आपूर्ति और इरकॉन की श्रीलंका परियोजना के लिए मशीनों को पट्टे पर देने का कार्य कर रही है।

क्षेत्रीय निष्पादन

वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व के चार क्षेत्र हैं यथा परामर्श, श्रमशक्ति की आपूर्ति, बहुउद्देशीय परिसरों को उप–पट्टे पर देना तथा अन्य (सीएसआर तथा स्वच्छ भारत अभियान परियोजनाओं का निष्पादन)। वर्ष 2046–15 के लिए प्रचालनिक आय में परामर्श परियोजाओं का अंशदान प्रमुख है यथा कुल प्रचालनिक आय का 48.87 प्रतिशत है। नीचे प्रस्तुत तालिका विभिन्न क्षेत्रों से आय के भाग और कुल आय में इसके प्रतिशत अंशदान को दर्शाती है।

(रुपए करोड़ में)

सेक्टर	2016–17		2015–16		2014–15	
	प्रचालनिक आय	%	प्रचालनिक आय	प्रचालनिक आय	प्रचालनिक आय	प्रचालनिक आय
परामर्श	0.14	0.45	2.98	8.19	5.11	6.90
श्रमशक्ति की आपूर्ति	26.78	86.16	17.78	48.87	6.42	8.67
एमएफसी को उपपट्टे पर देना	0.49	1.58	8.09	22.24	14.75	19.92
संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देना	2.12	6.82	6.17	16.96	6.62	8.94
अन्य सीएसआर तथा स्वच्छ भारत अभियान परियोजनाओं के निष्पादन से प्रचालन राजस्व	1.55	4.99	1.36	3.74	41.14	55.57
कुल	**31.08**		**36.38**		**74.04**	

सेगमेंट–वार निष्पादन

वर्ष 2015–16 के दौरान कुल प्रचालनिक आय में विदेशी परियोजनाओं का अंशदान 17.61% है तथा कुल प्रचालनिक आय में घरेलू परियोजनाओं का अंशदान 82.39% है।

(रुपए करोड़ में)

सेक्टर	2013–14		2014–15		2015–16	
	कुल आय	%	कुल आय	%	कुल आय	%
विदेशी	28.91	93.02	23.95	65.81	13.04	17.61
घरेलू	2.17	6.98	12.44	34.19	61.00	82.39
कुल	**31.08**		**36.39**		**74.04**	

शक्तियाँ

आपकी कंपनी की सबसे बड़ी शक्ति है कि यह निर्माण के क्षेत्र में व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए धारक कंपनी के अनुभव का लाभ प्राप्त कर सकती है।

जोखिम और चिन्ता

प्रगतिरत रुप से बहुउद्देशीय परिसरों के निर्माण का कार्य पूरा होने से, इन बहुउद्देशीय परिसरों को पट्टे पर देने का कार्य आरम्भ किया गया है जो कि अत्यंत क्षेत्र विशिष्ट और बाजार आधारित है। हालांकि, एक स्वतंत्र प्रतिष्ठित परामर्शदाता द्वारा बाजार संभाव्यता का गहन अध्ययन किया गया है किन्तु राजस्व एकत्रण का जोखिम अभी भी विद्यमान है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक के रुप में मैसर्स राहुल जैन एंड एसोसिएट्स, लागत एवं प्रबंधन लेखाकारों को नियुक्त किया है। आंतरिक लेखापरीक्षकों ने आंतरिक प्रणालियों की पर्याप्तता की जांच करने तथा निरंतर सुधारों के उपाय सुझाने के लिए कंपनी की लेखापरीक्षाएं की हैं। आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा कंपनी की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है।

मानव संसाधन

इरकॉन आईएसएल के कर्मचारियों में उन कार्मिकों का संयोजन है जिन्हें कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है और जिन्हें निगमित कार्यालय में या इरकॉन की श्रीलंका और मलेशिया परियोजनाओं में तैनात किया गया है और वे कर्मचारी जो इरकॉन से सेकेंडमेंट आधार पर शामिल किया गया है। दीर्घकालीन विकास परिदृश्य को देखते हुए, आपकी कंपनी अपने स्वयं के संवर्ग विकास के माध्यम से प्रमुख श्रमशक्ति संसाधनों में संवर्धन करने की योजना बना रही है।

निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से

ह/–
(हितेश खन्ना)
(अध्यक्ष)
(डीआईएन 06607392)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.08.2016

अनुबंध –घ

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

1. कंपनी का दर्शन

निगमित शासन कंपनी के व्यवसाय के नैतिक आचरण के लिए प्रणालियों तथा पद्धतियों की एक व्यवस्था है। यह अपने स्टेकधारकों की आकांशाओं को पूरा करने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता, समानता और मूल्यों की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है। कंपनी का यह निरंतर प्रयास है कि व्यावसायिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में नैतिकता के उच्चतम मानकों को अपनाया जाए तथा उन्हें बनाया रखा जाए।

2. शासन संरचना

कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जो कार्यप्रणाली और नीतियों का निर्धारण करता है और आवधिक रुप से कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है।

कंपनी के निष्पादन की समीक्षा धारक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा भी की जाती है। मंडल बैठकों के कार्यवृत्त तथा कंपनी द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण संव्यवहारों और व्यवस्थाओं के विवरण तथा अलेखापरीक्षित तिमाही तथा अर्धवार्षिक परिणामों को धारक कंपनी की लेखापरीक्षा समिति / बोर्ड बैठकों के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

इरकॉन आईएसएल के बोर्ड में चार अंशकालीन निदेशकों के अतिरिक्त, धारक कंपनी ने कंपनी के दिन–प्रति–दिन के कार्यों के प्रबंधन के लिए बोर्ड स्तर से नीचे के एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नामित किया है।

3. निदेशक मंडल

3.1 निदेशक मंडल की संरचना

कंपनी के संगम अनुच्छेद (ए.ओ.ए)(अनुच्छेद 48) के अनुसार, निदेशकों की संख्या तीन से कम तथा बारह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ए.ओ.ए (अनुच्छेद 49) के अनुसार, धारक कंपनी अध्यक्ष तथा सभी निदेशकों की नियुक्ति करती है।

निदेशक मंडल के सदस्यों की वर्तमान संख्या चार है जिसमें धारक कंपनी इरकॉन द्वारा नामित अंशकालीन निदेशकों सहित अंशकालीन अध्यक्ष शामिल हैं।

3.2 इस रिपोर्ट की तारीख को निदेशकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक मंडल (इस रिपोर्ट की तारीख तक)				
निदेशक	**पूर्णकालिक / अंशकालिक / स्वतंत्र**	**कंपनियों / निगमित निकायों में निदेशक पर (इरकॉन आईएसएल को छोड़कर)**	**समिति सदस्यता की कुल संख्या (इरकॉन आईएसएल सहित)**	
			अध्यक्ष के रूप में	**अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्य के रूप में**
श्री हितेश खन्ना (डीआईएन 02789681)	अंशकालीन अध्यक्ष	1 [इरकॉन, जेसीआरएल]	शून्य	शून्य
श्री अनिल जैन (डीआईएन 052832179)	अंशकालीन निदेशक	2 [इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल]	1	1
श्री सुरजीत दत्ता (डीआईएन 06687032)	अंशकालीन निदेशक	शून्य	1	2
श्री ए.के.गोयल (डीआईएन 05308809)	अंशकालीन निदेशक	3 [इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल, आईएसटीपीएल]	1	2

नोटः

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निदेशकों की संख्या 20 कंपनियों की अधिकतम सीमा के भीतर है (जिनमें से सार्वजनिक कंपनियों के लिए अधिकतम 10)।

2. निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।
3. निदेशकों का कंपनी के साथ किसी प्रकार का अंतर–संबंध या संव्यवहार नहीं है।
4. निदेशक पद/समिति की सदस्यता निदेशकों से प्राप्त अद्यतन प्रकटनों के आधार पर है।
5. समिति सदस्यता के लिए सभी सार्वजनिक निजी कंपनियों की लेखापरीक्षा समिति तथा शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति, सीएसआर एवं धारणीय विकास समिति के सदस्यों पर ही विचार किया गया है।
6. निदेशकों की समिति सदस्यता संख्या डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 (डीपीई सीजी दिशानिर्देश) के अंतर्गत पांच अध्यक्षों की अनुमत सीमा सहित 10 की अधिकतम सीमा के भीतर है। उक्त सीमा के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति तथा शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति को ही गिना जाएगा।
7. कंपनियों के पूरे नाम हैं:

   क. इरकॉन – इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

   ख. इरकॉन पीबीटीएल – इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

   ग. इरकॉन एसजीटीएल – इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड

   घ. आईएसटीपीएल – इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड

4. निदेशकों के संबंध में प्रकटन :

कंपनी (निदेशक की बैठकें व उनकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के अनुसार निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटन के अनुसार निदेशकों का आपस में कोई संबंध नहीं है। संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 49 के अनुसार धारक कंपनी द्वारा कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन किया जाता है।

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

धारक कंपनी द्वारा बोर्ड में नामित अंशकालीन निदेशक कंपनी से किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं।

अंशकालीन निदेशकों को किसी प्रकार का बैठक शुल्क प्रदान नहीं किया जाता है।

6. वर्ष 2015–16 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें और उनमें उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान निदेशक मंडल ने 25 मई 2015, 27 जुलाई 2015, 28 अगस्त 2015, 23 दिसंबर 2015 और 02 मार्च 2016 को पांच बैठकों में भाग लिया।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 167(1)(ख) के अनुसार अनुस्थिति की अनुमति प्रदान की गई है।

वर्ष 2015–16 के दौरान निदेशकों और कंपनी सचिव की उपस्थिति के विवरण निम्न प्रकार हैं :–

निदेशक	2015–16 में मंडल की बैठकों की संख्या		अंतिम वार्षिक आम बैठक में भाग लिया
	आयोजित (उनके कार्यकाल के दौरान)	उपस्थितियां	
हितेश खन्ना	4	4	हां
अनिल जैन	2	1	हां
सुरजीत दत्ता	4	4	हां
ए.के.गोयल	4	4	हां

दीपशिखा गुप्ता, कंपनी सचिव ने वर्ष 2015–16 के दौरान सभी बैठकां में भाग लिया।

6. निदेशक मंडल की समितियां

6.1 लेखापरीक्षा समिति

6.1.1 संदर्भ शर्तें

वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 4.90 करोड़ रुपए से बढ़कर 40 करोड़ रुपए (28.03.2013 से) हो गई है, जो 100 प्रतिशत इरकॉन द्वारा धारित है। इसके परिणामस्वरुप, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292क के

अनुपालन में, निदेशक मंडल ने 5 जुलाई 2013 को आयोजित अपनी बैठक में लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। कार्पोरेट शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अध्याय–4, पैरा 4.2 से पैरा 4.5 में निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तों को निदेशक मंडल द्वारा अपनाया गया था। संक्षेप में इनमें शामिल हैं:

1. कम्पनी की वित्तीय सूचना की प्रक्रिया और प्रकटन का पर्यवेक्षण करके लेखों की परिशुद्धता, पर्याप्तता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना है।
2. निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण को स्वीकृति दिए जाने से पूर्व प्रबंधन के साथ समीक्षा करना। विशेष रूप से–
   क) कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 134 के उपखंड 5 की शर्तों के अनुसार निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाली अपेक्षित सामग्री को निदेशक की रिपोर्ट में भी शामिल किया जाएगा।
   ख) लेखांकन नीतियों तथा पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हो व इसके कारण।
   ग) प्रबंधन द्वारा विवेक के प्रयोग के आधार पर अनुमानों वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।
   घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
   ड.) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन।
   च) किसी संबंधित पक्षों के संव्यवहार का प्रकटन।
   छ) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्यता आदि।
3) निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किए जाने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा।
4) प्रचालनों की वित्तीय स्थिति तथा परिणामों पर प्रबंधन द्वारा चर्चा व विश्लेषण।
5) आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्यनिष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
6) महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान व उन पर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु दोनों लेखा परीक्षकों – आंतरिक एवं सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ चर्चा।

7) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, स्टाफिंग तथा विभागों के कार्यालय प्रमुखों की वरियता, रिपोर्टिंग ढांचा, कवरेज तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्ता की समीक्षा करना।

8) लेखापरीक्षा शुल्कों के निर्धारण के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।

9) आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, पुनःनियुक्ति, पारिश्रमिक तथा निलंबन आदि की समीक्षा करना।

10) मुख्य कार्यपालक/वित्त प्रमुख द्वारा वित्तीय विवरणों के प्रमाणन/घोषणा की समीक्षा करना।

6.1.2 लेखापरीक्षा समिति– संरचना और उपस्थिति

कार्पोरेट शासन पर दिनांक 14 मई 2010 के डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.2 से पैरा 4.5 में निर्धारित अनुसार शर्तों का अनुपालन करते हुए निदेशक मंडल की स्वीकृति से 05.07.2013 को मूल रुप से तीन अंशकालीन निदेशकों वाली बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया था। धारक कंपनी द्वारा नामित अंशकालीन निदेशकों में जब कभी परिवर्तन किए जाते हैं तो इस समिति का पुनर्गठन किया गया जाता है।

समिति की वर्तमान संरचना निम्नानुसार हैः

श्री सुरजीत दत्ता – अध्यक्ष के रुप में अंशकालीन निदेशक
श्री अनिल जैन – सदस्य के रुप में अंशकालीन निदेशक
श्री ए.के.गोयल – सदस्य के रुप में अंशकालीन निदेशक

सुश्री दीपशिखा गुप्ता, कंपनी सचिव, लेखापरीक्षा समिति की सचिव हैं।

वर्ष 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 05 बैठकें आयोजित की गईं थीं अर्थात 2 25 मई 2015, 27 जुलाई, 2015, 27 अगस्त 2015, 23 दिसंबर 2015 तथा 02 मार्च 2016.

उपस्थिति की ब्यौरा निम्नानुसार है:

सदस्य	पद	बैठकों की संख्या (संबंधित कार्यकाल के दौरान)	बैठक में उपस्थिति
सुरजीत दत्ता (2015–16 वर्षभर)	अध्यक्ष	5	5
अनिल जैन (2015–16 वर्षभर)		5	5
ए.के.गोयल **(2015–16 वर्षभर)**	सदस्य	5	5

वर्ष 2015–16 के लिए सुश्री दीपशिखा गुप्ता, कंपनी सचिव, लेखापरीक्षा समिति की सचिव हैं और उन्होंने वर्ष 2015–16 के दौरान सभी बैठकों में भाग लिया।

6.2 निगमित सामाजित उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के अनुसार, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक की निवल संपत्ति, या 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक के टर्नओवर या 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक के शुद्ध लाभ अर्जित करने वाले प्रत्येक कंपनी, बोर्ड स्तर की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर) का गठन करेगी जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 12 अप्रैल 2013 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक सीपीएसई में बोर्ड स्तरीय समिति होगी जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा या किसी स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी जो कंपनी में सीएसआर तथा धारणीयता संबंधी नीतियों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

सभी बोर्ड सदस्यों को परिपत्रित नोट, जिसकी दिनांक 26 जून 2014 को आयोजित निदेशक मंडल की 22वीं बैठक में पुष्टि की गई थी, द्वारा कंपनी की सीएसआर नीति के क्रियान्वयन की निगरानी करने तथा कंपनी के सीएसआर एजेंडा को वांछित दिशा की ओर ले जाने के लिए उपयुक्त नीतियों तथा पद्धितियों के निर्माण में निदेशक मंडल को सहयोग प्रदान करने हेतु सीएसआर नीति के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए 13 जून, 2014 को सीएसआर के लिए एकीकृता निदेशक मंडल समिति का गठन किया गया है।

(i) श्री ए.के.गोयल – अध्यक्ष के रुप में अंशकालीन निदेशक

(ii) श्री अनिल जैन – सदस्य के रुप में अंशकालीन निदेशक

(iii) श्री सुरजीत दत्ता – सदस्य के रुप में अंशकालीन निदेशक

(iv) श्री दीपशिखा गुप्ता – कंपनी सचिव, समिति की सचिव के रूप में

वर्ष 2015–16 के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

6.3 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 178 के अनुसार, 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी, या 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक के टर्नओवर या 50 करोड़ रुपए या अधिक के समग्र बकाया ऋण या उधार या डिबेंचर या डिपाजिट करने वाले प्रत्येक कंपनी, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन करेगी। इस समिति में तीन या अधिक गैर कार्यपालक निदेशक होंगे जिनमें से आधे से अधिक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 14 मई, 2010 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम के लिए पारिश्रमिक समिति पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक सीपीएसई में एक पारिश्रमिक समिति होगी जिसमें कम से कम तीन निदेशक होंगे, और वे सभी अंशकालीन निदेशक होंगे (यथा नामिती और स्वतंत्र निदेशक), और समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी ।

संदर्भ शर्तें

क. दिनांक 26 नवंबर 2008 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्यपालकों और गैर–यूनियनिकृत पर्यवेक्षकों में वितरण हेतु वार्षिक बोनस/परिवर्ती आय पूल तथा इसके संवितरण की नीतियां निर्धारण करना।

ख. निर्धारित मापदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों का हिह्नन/चयन हेतु नीतयों को तैयार करना और उनकी समीक्षा तथा उनके चयन और उन्हें हटाने के लिए मंडल के अनुमोदन हेतु सिफारिश करना।

ग. वरिष्ठ प्रबंधन तथा अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक के संबंध में उनके स्तर और पारिश्रमिक का निर्धारण करना।

घ. वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के संबंध में मानव संसाधन नीति (नीतियों) की समीक्षा, विचार और सिफारिश करना।

ड. समय–समय पर कंपनी अधिनियम या डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा शामिल कोई अन्य कार्य।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 178 तथा डीपीई जीसी दिशानिर्देश, 2010 के पैरा 5.1 के अनुसरण में 28 अगस्त, 2015 को एक नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

समिति की संरचना निम्नानुसार हैः

(i) श्री अनिल जैन – अध्यक्ष के रुप में अंशकालीन निदेशक

(ii) श्री ए.के.गोयल –सदस्य के रुप में अंशकालीन निदेशक

(iii) श्री सुरजीत दत्ता – सदस्य के रुप में अंशकालीन निदेशक

(iv) श्री दीपशिखा गुप्ता – कंपनी सचिव, समिति की सचिव के रूप में

वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी की कोई बैठक नहीं हुई है।

7. सामान्य आम बैठक

7.1 वार्षिक आम बैठक

क. पिछली 3 (तीन) वार्षिक आम बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं थीं:

वार्षिक आम बैठक की संख्या	वित्त वर्ष	बैठक की तिथि	समय	स्थल
6ठीं	2014–15	21 सितंबर 2015	1400	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
5वीं	2013–14	10 सितंबर 2014	1530	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
4थी	2012–13	22 सितंबर 2013	1530	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (2012–13 से 2014–15) में कोई विशेष संकल्प अपेक्षित या पारित नहीं किया गया है।

7.2 असाधारण आम बैठक

क) पिछली 3 (तीन) असाधारण आम बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं थीं:

असाधारण आम बैठक संख्या	वित्त वर्ष के दौरान	बैठक की तिथि	समय	स्थल
चौथी	2014–15	20 फरवरी 2015	1700	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
तीसरी	2012–13	22 जनवरी 2013	1430	कंपनी का पंजीकृत

				कार्यालय, दिल्ली
दूसरी	2011–12	12 मार्च 2012	1430	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली

ख) विशेष संकल्प

(क) चौथी असाधारण आम बैठक 20 फरवरी 2015 को आयोजित की गई थी। प्राधिकृत शेयर पूंजी को 40 करोड़ से बढ़ाकर 65 करोड़ करने के लिए कंपनी के समझौता ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में परिवर्तन।

(ख) तीसरी असाधारण आम बैठक 22 जनवरी 2013 को आयोजित की गई थी।

(i) प्राधिकृत शेयर पूंजी को 10 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ करने के लिए कंपनी के संगम अनुच्छेद में परिवर्तन।

(ii) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) से लिए गए ऋण के 35,10,00,000 रुपए के स्तर तक के भाग को प्रत्येक 10 रुपए के 3,51,00,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करना।

(ग) दूसरी असाधारण आम बैठक 12 मार्च 2012 को आयोजित की गई थी। उद्देश्य खंड III क (मुख्य उद्देश्य) में नए उप खंडों को शामिल करके समझौता ज्ञापन में परिवर्तन किया गया।

8. प्रकटन

8.1 वर्ष के दौरान निदेशकों या उनके संबंधितयों के साथ कोई महत्वपूर्ण प्रकृति का संव्यवहार नहीं हुआ है, जिसका कंपनी के हित प्रभावित हुआ हो। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में नोट सं. 39 में निर्धारित संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहारों के प्रकटन की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया गया है।

8.2 कंपनी वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुसरण कर रही है। नए कंपनी अधिनियम, 2013, पैरा 4 (क), अनुसूची–।। की अधिसूचना के परिणामस्वरूप, जिसमें अपेक्षित है कि यदि महत्वपूर्ण मूल्य वाली पसिंपत्ति के घटक का शेष परिसंपत्तियों से भिन्न उपयोगी

जीवनकाल है, उस घटक के उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण अगल से किया जाएगा। परिकलन की विधि में परिवर्तन के कारण, मशीन का मूल्यह्रास सभी घटाकें के लिए अगल से परिकलित किया गया है, जिसके परिणामस्रूप, मूल्यह्रास की राशि में 30.09 लाख रूपए की वृद्धि हुई है (नए प्रावधान के अनुसार मूल्यह्रास 129.27 लाख रूपए और पूराने प्रावधान के अनुसार मूल्यह्रास 99.18 लाख रूपए), जिसने आगे कंपनी के कर पूर्व लाभ को 30.09 लाख रूपए से और कम कर दिया है।

8.2 वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी के व्यवसाय उद्देश्यों से इतर लेखों की बहियों में व्यय की किसी भी मद को नामे नहीं किया गया है। सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन एवं पर्क (विस्तृत विवरण वित्तीय विवरणों के भाग के रुप में नोट सं 41 में भी प्रकटित) के अनुसार प्रमुख कार्यपालकों को भुगतान हेतु पारिश्रमिक को छोड़कर निदेशकों तथा शीर्ष प्रबंधन के व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है।

8.3 कुल व्यय के प्रतिशत के रुप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्ययों का ब्यौरा वित्तीय व्यय की तुलना में नीचे दर्शाया गया है:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	**2018–19**	**2017–19**	**टिप्पणियां**
प्रशासनिक व्यय	2.15	0.92	शून्य
बैंक तथा अन्य वित्तीय प्रशर	3.91	5.61	ऋण पर ब्याज
कुल व्यय	59.26	21.22	शून्य
प्रशासनिक तथा अन्य व्यय /कुल व्यय (प्रतिशत में)	3.63%	4.34%	शून्य
बैंक तथा वित्तीय प्रभार/कुल व्यय (प्रतिशत में)	6.60%	26.44%	

8.4 कंपनी आवधिक रुप से जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में परियोजनाओं से संबंधित जोखिमों और विदेशी विनिमय प्रबंधन के विषय में बोर्ड को सूचित करती है। जोखिम प्रबंधन से

संबंधित ब्यौरा ''जोखिम एवं चिंता'' शीर्षक के अंतर्गत प्रबंधन विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है।

8.5 लेखापरीक्षा समिति के किसी कार्मिक को पहुंच उपलब्ध कराने से इनकार किए जाने की कोई घटना नहीं हुई है।

8.6 कंपनी की सम्पूर्ण इक्विटी पूंजी यथा 65,00,00,000 इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) द्वारा धारित है।

8.7 किसी सांविधिक विनियम या सरकारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन न किए जाने की कोई घटना नहीं हुई है और पूंजी बाजार या सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों से संबंधित किसी मुद्दे पर कंपनी पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।

8.8 डीपीई सीजी दिशानिर्देशों के स्व–मूल्यांकन के अनुपालन के लिए इरकॉन आईएसएल ने वर्ष 2015–17 के लिए 100 में से 97.5 का वार्षिक अंक तथा उत्कृष्टता ग्रेड प्राप्त किया है।

8.9 संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार आर्म लैंथ आधार पर व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया है और कंपनी के वित्तीय विवरण के नोटों में संगत लेखांकन मानक की अपेक्षा के अनुसार इसे प्रकट किया गया है।

8.10 कंपनी में सांविधिक और प्रक्रियात्मक अनुपालनों की मॉनीटरिंग की प्रणालियां विद्यामन हैं। बोर्ड को इस स्थिति से अवगत कराया गया है ताकि कंपनी के सभी लागू नियमों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

9. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्त अधिकारी ने वित्तीय विवरणों की सत्यता तथा सटीकता, देय अनुपालनों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग, जिसे लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, के संबंध में लिखित रुप में प्रमाणित किया है। (इस रिपोर्ट के **अनुबंध ''घ.–1''** पर संलग्न है)।

10. शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

- **सम्प्रेषण के माध्यम**

इरकॉन आईएसएल की वर्ष 2016–17 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.irconisl.com पर तथा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध हैं।

- **चालू वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक**

  तारीख : 25 सितंबर 2017

  समयः 1600 बजे पूर्वाहन

  स्थानः कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का बोर्ड कक्ष, सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110007

- **श्रेणीवार शेयरधारक पैटर्न (इस रिपोर्ट की तिथि को)**

श्रेणी	भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्या (10 रु. प्रति शेयर)	शेयरधारण का प्रतिशत
प्रवर्तक (इरकॉन इंटरनेशनल लि. और इसके नौ नामिति)	6,50,00,000	100 प्रतिशत
कुल	6,50,00,000	100 प्रतिशत

धारक कंपनी द्वारा पदधारियों को बदले जाने के परिणामस्वरूप किसी नामिती शेयरधारक से दूसरे शेयरधारकों को शेयरों का अंतरण करना सामान्यतः एक तकनीकी कार्य है क्योंकि 100 प्रतिशत शेयर धारक कंपनी के हैं। इन शेयरों का अंतरण करने के लिए सीईओ एक प्राधिकृत अधिकारी है और कोई अंतरण बाकी नहीं हैं।

- **संप्रेषण का पता**

  कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता है:

  इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड

  प्लाट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर

  साकेत, नई दिल्ली–1100017

  टेलीफोन : 29565666

  फैक्स : 26854000

  ई–मेल : info@irconisl.com

  वेबसाईट : www.irconisl.com

11. निगमित शासन पर अनुपालन

यह रिपोर्ट वर्ष 2015–16 के लिए कार्पोरेट शासन रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के संबंध में विधिक अपेक्षाओं का विधिक पालन करती है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी सनदी कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के **संलग्नक ''घ.–2''** पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/–
(हितेश खन्ना)
(अध्यक्ष)
(डीआईएन 02789681)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.08.2016

अनुबंध ड.–1

मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वित्तीय विवरणों एवं तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, तथा रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की है:–

(i) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक विवरण को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।

(ii) ये विवरण समग्र रूप में कम्पनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के अनुरुप हैं।

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।

(iv) हम आतंरिक नियत्रंण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उतरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कम्पनी में एक कुशल आंतरिक नियत्रंण प्रणाली तैयार की है। हमने आतंरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के सबंध में लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

(v) हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है; और

(vi) हमारी जानकारी में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही कम्पनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबन्धन या कर्मचारी के बारे में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह/–

श्री अनिकेत खेत्रपाल

मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)

ह/–

श्री सी.के.नायर

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 24.08.2016

अनुबंध घ–2

एम.बांगिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

डी–152, दयानन्द कॉलोनी, लाजपत नगर–4,
नई दिल्ली–110024
दूरभाषः 011–41625462
मोबाइलः 98734–26246
ई–मेलः **manojbangia.mb@gmail.com**

डी.पी.ई के निगमित शासन दिशानिर्देशों के अधीन कार्पोरेट शासन की शर्तों सहित अनुपालन संबंधित प्रमाणपत्र

सेवा में,
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड के सदस्य,
नई दिल्ली,

लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों द्वारा यथापेक्षित कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 2(45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी होने के कारण **इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड द्वारा** दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में:

हमने कंपनी के निदेशक मडल द्वारा यथाअनुमोदित उक्त कंपनी के निगमित शासन पर रिपोर्ट का अध्ययन किया है। अमने कंपनी द्वारा अनुरक्षित संगत रिकार्डों और अभिलेखों तथा इस संबंध में हमारी समीक्षा हेतु हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की भी जांच की है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रिया विधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हम उल्लेख करते हैं कि कंपनी द्वारा अनुरक्षित रिकार्डों के अनुसार कंपनी के विरूद्ध वर्ष के दौरान कोई निवेशक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और ना ही उसे कुशलता या प्रभावपूर्णता का आश्वासन है कि जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का निष्पादन करता है।

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकनों के साथ कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कारपोरेट शासन पर दिशानिर्देशों का सभी दृष्टिकोणों से निगमित शासन की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

कृते एम.बांगिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/–
मनोज बांगिया
प्रोप्राइटर
सी.ओ.पी सं.3655

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.08.2016

फार्म सं. एमआर–3
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में)

सेवामें,

सदस्य,

मैसर्स इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड,

प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,

साकेत, नई दिल्ली–110017

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (जिसे यहां आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी, जिससे हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रकियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रूप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए **इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड** (कंपनी) द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)

(iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1966 तथा इसके अंतर्गत निर्मित विनियम तथा उप–नियमः(समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)

(iv) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के स्तर तक विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)

(v) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (''सेबी अधिनियम'') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देशः

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यपाक अधिग्रहण और ओवरटेक) विनियम, 2011 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भीतरी व्यापार निषेध) विनियम, 1992 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)

घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन तथा कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)

(ड.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना व सूचीकरण) विनियम, 2008 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यु और शेयर हस्तांतरण एजेटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 और यह कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ संव्यवहार से संबंधित है (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियम, 2009 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं), और

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 1998 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)

(vi) एक सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम और मैसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन, रेल मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूची–क, मिनी रत्न –श्रेणी। कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी होने के कारण, हमने अन्य विशिष्ट लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियामों के अनुपालन में कंपनी की जांच और सत्यापन किया है यथाः

(क) निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देश, दिनांक 14 मई 2010.

(ख) लागू स्तर तर संबंधित श्रम कानून।

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है।

i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ii. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायितव एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015, यदि लागू हो। (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान तथा प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण और अभ्यावेदनों तथा कंपनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के मद्देनजर, कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकनों पर उपर्युक्त विषय के संबंध में अधिनियम, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है यथा डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के अंतर्गत यथापेक्षित निदेशकों के लिए आचार संहित को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल (बीओडी) का विधिवत रूप से गठन किया गया है। कंपनी के सभी चार निदेशक इसकी धारक कंपनी द्वारा नामांकित हैं, जो गैर कार्यपालक निदेशक हैं। रिपोर्ट के वर्ष के दौरान, कंपनी के लिए अपेक्षित है कि डीपीई दिशानिर्देश के साथ पठित अधिनियम के अनुसार निदेशक मंडल में दो स्वतंत्र निदेशक हों, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है, हालांकि चालू वर्ष के दौरान इसमें दिनांक 05.07.2017 की एमसीए अधिसूचना के तहत छूट प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन व पारिश्रमिक समिति को स्वतंत्र निदेशकों के अधिकार की आवश्यकता है, जिसके अनुपालन हेतु बोर्ड के ध्यानार्थ की आवश्यकता है।

सभी निदेशकों को उपयुक्त नोटिस दिया गया है कि वे समिति बैठकों के साथ बोर्ड बैठकों की अनुसूची तैयार करें तथा सात दिन या उससे कम अवधि के पूर्व नोटिस पर कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट तैयार करें, जैसा भी मामला हो, और बैठक से पूर्व कार्यसूची

मदों पर कोई अन्य सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए तथा निदेशको द्वारा बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी की प्रणाली विद्यमान है।

प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के रूप में बोर्ड बैठकों के निर्णय एकमत से लिए जाते हैं।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग करने और इनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप उपयुक्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी में निम्नलिखित घटनाएं/क्रियाएं हुई हैं जिनका कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रमुख प्रभाव पड़ा है:

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्ट की अवधि के दौरान, कंपनी में निम्नलिखित कोई घटना नहीं हुई है:

I. पब्लिक/राइट/प्रेफरेंशियर शेयरों/डिबेंचरों/स्वीट इक्विटी, आदि जारी किया जाना।

II. प्रतिभूतियों का रिडम्पशन/बाय–बैक

III. कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 180 के अनुसरण में सदस्यों द्वारा प्रमुख निर्णय लिया जाना।

IV. विलय/एमलबमेशन/पुनर्संरचना आदि

V. विदेशी तकनीकी गठजोड़

कृते के.के.सिंह एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

सीएस अरूण गुप्ता
वरिष्ठ भागीदार
एफसीएस :8606
सीपी सं.:10104

दिनांक: 24.08.2016
स्थान: गुरूग्राम

*इस रिपोर्ट को **अनुबंध–क** के रूप में अनुबंधित हमारे समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

अनुबंध–क

सेवामें,

सदस्य,
मैसर्स इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड,
प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली–110017

हमारी समतिथिक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाएः

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारर निष्कर्षों/लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्त करना है।

2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। जांच आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि रिकार्डों में सही तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रक्रियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं की है। हमने संगत वित्तीय वर्ष के लेखा बहियों, दस्तावेजों तथा वित्तीय विवरणों के अनुरक्षण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसे अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुपालन के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का आश्रय लिया है, जो हमें कंपनी के कार्यकलापों का सत्य एवं सही स्थिति प्रस्तुत करता है।

4. हमने सेवाकर या जीएसटी सहित वित्तीय नियमों के अनुपालन के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का आश्रय लिया है। जैसा भी मामला हो और हमने उनका अवलोकन नहीं किया है।

5. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

6. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रकियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट ना तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और ना ही कुशलता या प्रभावपूणता के लिए है जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का संचालन करेगी।

कृते के.के.सिंह एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/–
सीएस अरूण गुप्ता
वरिष्ठ भागीदार
एफसीएस :8606
सीपी सं.:10104

दिनांकः 24.08.2016
स्थानः गुरूग्राम

वित्तीय विवरण

(2015–16)

इरकॉन आईएसएल की वित्तीय विशेषताएं

(रूपए लाभ में)

विवरण	2015-2016	2014-2015	2013-2014	2012-2013	2011-2012	2010-2011
प्रचालनिक आय	7,404.72	3,638.76	3,107.51	1,257.52	606.42	110.36
अन्य आय	782.65	512.33	91.20	24.27	8.02	
कुल आय (1+ 2)	**8,187.37**	**4,151.08**	**3,198.72**	**1,281.79**	**614.45**	**110.36**
व्यय	5,926.34	2,122.00	1,858.00	1,003.00	233.00	101.24
प्रचालनिक मार्जिन (पीबीडीआईटी)	2,652.12	2,836.60	1,893.04	278.79	381.45	9.12
ब्याज व्यय	391.09	560.60	485.90	-	-	-
कर पूर्व लाभ	2,261.03	2,028.77	1,340.55	279.15	381.59	9.12
कर पश्चात लाभ	1,422.27	1,092.60	766.04	191.53	255.69	7.09
आरक्षित निधियां एवं अतिरेक	3,733.63	2,311.36	1,218.76	452.72	261.18	5.49
दीर्घकालीन ऋण	2,521.00	3,150.00	4,815.40	3,400.72	5,092.00	2,320.00
शेयर पूंजी	6,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	490.00	490.00
	-	2,500.00	-	4,452.72		-
निवल परिसंपत्ति	**10,233.63**	**8,811.36**	**5,218.76**	**4,452.72**	**751.18**	**495.49**

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड
सीआईएन- U45400DL2009GOI194792

तुलन पत्र
31 मार्च 2016 को

(आंकड़े रूपए में)

	विवरण	नोट सं	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
I.	**इक्विटी और देयताएं**			
1	**शेयरधारक निधि**			
	(क) शेयर पूंजी	2	650,000,000	400,000,000
	(ख) आरक्षित निधि एवं अतिरिक	3	373,362,811	231,135,990
2	**शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन**	4	-	250,000,000
3	**गैर चालू देयताएं**			
	(क) दीर्घकालीन देयताएं	5	525,508,534	506,559,665
	(ख) आस्थगित कर देयताएं/निवल	6	114,514,562	68,851,845
	(ग) दीर्घकालीन प्रावधान	7	12,388	-
4	**चालू देयताएं**			
	(क) व्यापार प्राप्य	8	39,802,488	30,075,552
	(ख) अन्य चालू देयताएं	9	133,568,034	149,381,026
	(ग) अल्पकालीन प्रावधान	7	63,181,989	58,300,578
	कुल		**1,899,950,806**	**1,694,304,656**
II.	**परिसंपत्तियां**			
	गैर चालू परिसंपत्तियां			
1	(क) स्थिर परिसंपत्तियां			
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां	10	100,035,470	112,110,452
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	10	939,220,041	943,177,809
	(iii) पूंजीगत प्रगतिरत कार्य	11	-	9,011,750
	(ख) गैर चालू निवेश		-	-
	(ग) अस्थिगत कर देयताएं	6	-	-
	(घ) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	12	358,188	358,188
	(ड.) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	13	267,554	254,253
2	**चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) चालू निवेश		-	-
	(ख) दरसूचियां	14	40,406	-
	(ग) व्यापार प्राप्य	15	348,813,800	169,903,056
	(ड.) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	16	428,976,729	408,432,907
	(च) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	17	60,252,009	50,019,488
	(छ) अन्य चालू परिसंपतियां	18	21,986,609	1,036,753
	कुल		**1,899,950,806**	**1,694,304,656**
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
IV.	वित्तीय विवरणों के संलग्न नोटों को देखें	2- 49		

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते कपूर गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001370एन

सीए जे सी कपूर
(साझेदार)
स.सं. 012001
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.08.2016

निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से

अनिकेत खेत्रपाल	**सी.के.नायर**	**दीपशिखा गुप्ता**	**सुरजीत दत्ता**	**हितेश खन्ना**
सीएफओ	**सीईओ**	**कंपनी सचिव**	**निदेशक**	**अध्यक्ष**
			(डीआईएन– 06687032)	**(डीआईएन– 06607392)**

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड
सीआईएन- U45400DL2009GOI194792

लाभ एवं हानि विवरण
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु

(आंकड़े रूपए में)

	विवरण	नोट	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु
	राजस्वः			
I	प्रचालनों से राजस्व	19	740,471,575	363,875,610
II	अन्य आय	20	78,264,911	51,232,695
III	कुल राजस्व		**818,736,486**	**415,108,305**
IV	व्ययः			
	प्रचालनिक एवं प्रशासनिक व्ययः			
	–प्रचालनिक व्यय	21	463,890,187	57,125,165
	–प्रशासनिक व्यय	21	21,530,945	9,239,811
	कर्मचारी लाभ व्यय	21	37,654,443	65,084,060
	वित्तीय लागते	22	39,108,973	56,059,503
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	10	30,449,036	24,723,042
	कुल व्यय		**592,633,584**	**212,231,581**
V	अपवादित एवं असाधारण मदों व कर पूर्व लाभ **(III-IV)**		226,102,902	202,876,724
VI	आपवादित मदें		-	-
VII	असाधारण मदों व कर पूर्व लाभ **(V-VI)**		**226,102,902**	**202,876,724**
VIII	असाधारण मदें		-	-
IX	करपूर्व लाभ **(VII-VIII)**		**226,102,902**	**202,876,724**
X	कर व्ययः			
	(1) चालू कर			
	–वर्ष हेतु		42,122,382	34,047,292
	–पूर्ववर्ती वर्षों हेतु/निवल		(3,909,018)	(910,896)
	(2) आस्थगित कर/निवल		45,662,717	60,480,586
	कुल कर व्यय		83,876,081	93,616,982
XI	निरंतर प्रचालनों से अवधि हेतु लाभ (हानि) **(IX-X)**		**142,226,821**	**109,259,742**
XII	अवधि हेतु लाभ (हानि)		**142,226,821**	**109,259,742**
XIII	प्रति शेयर अर्जन/रूपए में	26		
	–मूल		3.56	2.73
	–विलयित		3.56	2.73
XIV	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट	2- 49		

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते कपूर गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001370एन

निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से

सीए जे सी कपूर (साझेदार) स.सं. 012001

अनिकेत खेत्रपाल सी.एफ.ओ

सी.के.नायर सी.ई.ओ

दीपशिखा गुप्ता कंपनी सचिव

सुरजीत दत्ता निदेशक (डीआईएन– 06687032)

हितेश खन्ना अध्यक्ष (डीआईएन– 06607392)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.08.2016

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड
सीआईएन- U45400DL2009GOI194792

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु रोकड़ प्रवाह विवरण

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु	
	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड प्रवाह				
असाधारण मदों व कर से पूर्व निवल लाभ/(घाटा)		226,102,902		202,876,724
समायोजन:				
मूल्यह्रास एवं परिशोधन (नोट 10 का संदर्भ ले)	30,449,036		24,723,042	
स्थिर परिसंपत्तियों और अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि का प्रावधान	-		-	
शेयर जारी करने का परिशोधन, शेयरों पर व्यय, छूट और प्राथमिक व्यय	-		-	
परिसंपत्तियों की बिक्री/बट्टे खाते पर (लाभ)/हानि	-		-	
कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना पर व्यय	-		-	
वित्तीय लागत	39,108,973		56,059,503	
ब्याज लागत	-		-	
बट्टे खाते की अपेक्षा के बिना देयताएं/प्रावधान	486,249		-	
		70,044,258		80,782,545
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनिक लाभ/(हानि)		**296,147,160**		**283,659,269**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन				
प्रचालनिक परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी हेतु समायोजन				
दस्तूची	(40,406)		-	
व्यापार प्राप्य	(178,910,744)		(61,368,272)	
अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	(497,201)		(1,501,907)	
दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	-		(113,188)	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	(20,949,856)		(958,763)	
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	(13,301)		(10,476)	
प्रचालनिक परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी हेतु समायोजन				
व्यापार प्राप्य	9,726,936		(730,524)	
अन्य चालू देयताएं	(38,712,992)		47,219,514	
दीर्घकालीन देयताएं	81,848,869		146,341,876	
अल्पकालीन प्रावधान	(3,679,928)		(409,134)	
दीर्घकालीन प्रावधान	12,388		-	
		(151,216,235)		128,469,126
		144,930,925		**412,128,395**
असाधारण मदों से रोकड़ प्रवाह		-		-
प्रचालनों से रोकड़		144,930,925		412,128,395
निवल आयकर (टीडीएस सहित) (प्रदत्त)/धनवापसी		(39,873,594)		(60,150,381)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (क)		**105,057,331.27**		**351,978,014.00**

ख. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
पूंजी निवेश सहित स्थिर परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय	(5,404,536)		(11,260,911)	
स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त धनराशि	-		-	
अंतरनिगमित जमाराशियां (निवल)	-		-	
प्राप्त ब्याज				
–सहायक कंपनियां	-		-	
–संबद्ध कंपनियां	-		-	
–संयुक्त उपम	-		-	
–अन्य	-		-	
असाधारण मदों से रोकड प्रवाह		(5,404,536)		(11,260,911)
निवल आयकर (प्रदत्त)/धनवापसी		-		-
प्रचालन गतिविधियों से/(प्रयोग में) निवल रोकड प्रवाह (ख)		**(5,404,536)**		**(11,260,911)**
ग. वित्तीय गतिविधियां से रोकड़ प्रवाह				
इक्विटी शेयरों के जारी करने से प्राप्त धनराशि			-	
प्राप्त/(रीफंडिड) शेयर आवेदन राशि	-		250,000,000	
दीर्घकालीन ऋणों (धारक कंपनी से) से निवल धनराशि	(40,000,000)		(166,540,000)	
कार्यशील पूंजी ऋण से निवल वृद्धि/(कमी)	-		-	
वित्तीय लागत	(39,108,973)		(56,059,503)	
लाभांश पर कर	-		-	
असाधारण मदों से रोकड प्रवाह		(79,108,973) -		27,400,497 -
वित्तीय गतिविधियों से/(प्रयोग में) निवल रोकड प्रवाह (ख)		**(79,108,973)**		**27,400,497**
रोकड एवं रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		**20,543,822**		**368,117,600**
वर्ष के आरंभ में रोकड एवं रोकड़ समतुल्य		408,432,907		40,315,307
विदेशी मुद्रा रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य के पुनर्विवरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव		-		-
वर्ष के अंतम में रोकड एवं रोकड़ समतुल्य		428,976,729		408,432,907
तुलन पत्र से रोकड़ और रोकड़ समतुल्य का समायोजन				
तुलन पत्र के अनुसार रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य		428,976,729		408,432,907
घटारु एएस–3 रोकड़ प्रवाह विवरण में परिभाषित अनुसार रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य के रूप में स्वीकार न किए गए बैंक शेष (ब्यौरा दें)		-		-
निवल रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य (एएस–3 रोकड़ प्रवाह विवरण में परिभाषित अनुसार)		**428,976,729**		**408,432,907**
जमा: रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य के रू- में चालू निवेश /एएस–3 रोकड़ प्रवाह विवरण में परिभाषित अनुसार		-		-

वर्ष के अंत में रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य *		**428,976,729**	**408,432,907**
* इसमें शामिल:			
(क) उपलब्ध रोकड़		-	-
(ख) चैक, उपलब्ध ड्राफ्ट		-	-
(ग) बैंकों में शेष			
(i) चालू खातों में		19,398,878	3,802,579
(ii) ईईएफसी खातों में		-	-
(iii) फ्लैक्सी खातों में		34,186,255	56,848,889
(iii) 3 माह से कम की मूल परिपक्वता वाले सावधि जमा खाते		219,852,596	197,781,439
(iv) निर्धारित खातों में		-	-
(v) पारगमन में प्रेषण		-	150,000,000
(घ) अन्य बैंक शेष (3 महीने से अधिक व 12 महीने तक के सावधि जमा खाते		155,539,000	-
(ड.) रोकड़ और रोकड़ समतुन्य के रूप में चालू निवेश		-	-
		428,976,729	**408,432,907**

नोट:

(i) रोकड़ प्रवाह विवरण निरंतर एवं रियायती प्रचालनों से संबंधित संयुक्त रोकड़ प्रवाह को प्रदर्शित करता है।

(ii) बैंकों के साथ निर्धारित इन लेखा शेषों को केवल विशिट चिह्नित प्रयोजनों हेतु ही प्रयोग किया जा सकता है।

(iii) पिछले वर्ष के आंकड़ों को अनुसूची–।।। के अनुसार पुन: निर्धारित किया गा है।

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में संलग्न नोटों को देखें

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते कपूर गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001370एन

निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से

सीए जे सी कपूर	**अनिकेत खेत्रपाल**	**सी.के.नायर**	**दीपशिखा गुप्ता**	**सुरजीत दत्ता**	**हितेश खन्ना**
(साझेदार)	**सीएफओ**	**सीईओ**	**कंपनी सचिव**	**निदेशक**	**अध्यक्ष**
स.सं. 012001				**(डीआईएन– 06687032)**	**(डीआईएन– 06607392)**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.08.2016

नोट सं.1

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(i) निगमित सूचना

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। आरंभ में कंपनी का निगमन रेलवे प्रयोक्ताओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिह्नित रेलवे स्टेशनों पर बहुउद्देशीय परिसरों के के निर्माण और विकास के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने धीरे–धीरे धारित कंपनी सहित विभिन्न ग्राहकों के लिए अवसंरचना परामर्श परियोजनाओं, डीपीआर एवं एफएस तैयार करना, परियोजना प्रबंधन परामर्श परियोजनाओं, श्रमशक्ति आपूर्ति, संयंत्र एवं मशीनरी का पट्टाकरण, बहुउद्देशीय परिसरों को उप पट्टे पर देने तथा सीएसआर परियोजनाओं का कार्य भी आरंभ किया है। कंपनी घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के बाजारों में कार्य कर रही है।

(ii) तैयार करने के आधार

क) वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण नियमों तथा कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के प्रावधानों के आधार पर तैयार किए जाते हैं और कंपनी (लेखे) नियमावली, 2014 के नियम–7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा–133 में विनिर्दिष्ठ लेखांकन मानकों के सभी सामग्रीगत पहलुओं का अनुपालन किया गया है। लेखांकन नीतियों को निरंतर रूप से लागू किया जाता है, वहां छोड़कर जहां नए रूप से जारी लेखांकन मानकों को आरंभिक रूप से स्वीकार किया गया है या लेखांकन नीति में मौजूदा लेखांकन मानकों में परिवर्तन की आवश्यकता है।

ख) वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए ऐसे अनुमानों और संभावनाओं के निर्धारण के प्रबंधन की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि को ा परिसंपत्तियों और देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटनों की रिपोर्टिड राशियों को तथा वर्ष के लिए राजस्व और व्यय की रिपोर्टिक राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक

परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ये परिणाम इन अनुमानों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों व अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ये परिणाम ज्ञात/सामग्रीगत हुए हैं।

ग) वित्तीय विवरण भारतीय रूपए में दर्शाए जाते हैं ।

(iii) विदेशी मुद्रा सौदे

क) भारतीय **प्रचालनों के** संव्यवहारः

विदेशी मुद्रा सौदों का रूपान्तरण निम्न रीति से किया जाता हैः

i) समस्त विदेशी मुद्रा सौदों का भारतीय मुद्रा रूपांतरण सौदे की तारीख पर प्रचलित क्रय दर पर किया जाता है।

ii) स्थिर परिसंपत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख पर अंतरण मूल्य दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।

iii) मूल्यह्रास को परिवर्तित उन दरों पर किय जाता है, जिनका उपयोग परिसंपतियों के मूल्य परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।

iv) मौद्रिक मदों और आकस्मिक देयताओं का विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य के परिवर्तन प्रचलित बंद क्रय दर पर प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को किया जाता है।

ख) <u>एकीकृत विदेशी प्रचालनों में संव्यवहार</u>

विदेशी शाखाओं की विदेशी मुद्रा का परिवर्तन निम्न प्रकार किया जाता हैः

i) राजस्व मदों को भारतीय मुद्रा में संव्यवहार की तिथि को क्रय दर के आधार पर रूपांतरित किया जाता है।

ii) स्थिर परिसम्पत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख पर क्रय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

iii) मूल्यह्रास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपत्तियों का मूल्य रूपांतरित करने के लिए जाना जाता है, जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।

iv) मुद्रित मदें तथा आकस्मिक देयताएं प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को विद्यमान अंतिम क्रय दर पर रूपांतरित की जाती हैं।

v) मालसूचियों को प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को तार क्रय दरों पर रूपांतरित किया जाता है।

ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) पर रूपान्तरणों के परिणामस्वरूप निवल विनिमय अंतरों को वर्ष के लिए आय या व्यय के रुप में लिया गया है।

घ) <u>गैर एकीकृत विदेशी प्रचालनों के संव्यवहार</u>

गैर–एकीकृत विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित प्रकार से रूपांतरित किया जाता है:

1) परिसम्पत्तियों तथा दायित्व, मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक दोनों को अंतिम क्रय दर पर रूपांतरित किया जाता है।

2) आय और व्यय मदों को लेन–देन की तारीख को क्रय दर पर रूपांतरित किया जाता है।

3) सभी परिणामी विनियम अंतर को शुद्ध निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि में एकत्र किया जाता है तथा इसे उसी अवधि में आय या व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें निपटान पर लाभ या हानि को पहुंचाया गया है।

(iv) स्थिर परिसम्पत्तियाँ

(1) मूर्त परिसंपत्तियां

क) मूर्त परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास और घाटे को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है।

ख) मशीनरी स्पेयर्स जो केवल मूर्त परिसंपत्तियों के मद के संबंध में उपयोग किए जा सकते हैं और जिनका उपयोग अधिनियमित होने की प्रत्याक्षी है, उन्हें पूंजीगत किया जाता है।

ग) वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख तक किए गए निर्माण अवधि के दौरान प्रासांगिक व्यय को पूंजीगत किया जाता है।

(2) अमूर्त परिसंपत्तियां

क) अमूर्त परिसंपत्त्यिों को तब स्वीकार किया जाता है जब यह संभावना हो कि भावी आर्थिक लाभ जो उस परिसंपत्ति से प्राप्त होने है उसके निकाय को प्राप्त होने की संभावना है और परिसंपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके। अमूर्त परिसंपत्त्यिों को संचित मूल्यह्रास और घाटे को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है।

ख) निर्माण गतिविधियों से संबंधित सशी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष व्यय को लागत पर पूंजीकृत तथा मूल्यित किया जाता है। निर्माण के दौरान अप्रत्यक्ष व्यय/आकस्मिक व्यय को निर्माण या आकस्मिकता से प्रत्यक्ष रुप से संबंधित व्यय के स्तर तक की लागत के रुप में पूंजीकृत किया जाता है।

ड.) अमूर्त परिसंपत्तियों को कार्य समाप्ति तक निर्माण की लागत घटा संचित मूल्यह्रास/परिशोधन तथा संचित हानियों, यदि कोई हो, पर दर्शाया जाता है।

(v) निवेश

क. गैर–चालू निवेशों का मूल्यांकन लागत पर मूल्य, यदि कोई हो, में स्थायी गिरावट के लिए प्रावधान को घटाकर किया जाता है।

ख. चालू निवेशों को लागत पर या उचित मूल्य पर, जो भी कम हो, आंका जाता है।

ग. किसी भूमि या भवन में निवेश जिसका उद्देश्य कंपनी द्वारा प्रयोग किया जाना या प्रचालन नहीं है, उसे निवेश संपत्ति के रुप में वर्गीकृत किया जाता है। संपत्तियों को लागत पर, संचित मूल्यह्रास के निवल तथा संचित हानियों, यदि कोई हों, पर वर्णित किया जाता है।

(vi) मालसूचियाँ

क) **प्रगतिरत निर्माण कार्य**

प्रगतिरत निर्माण कार्य का मूल्य लागत पर निकाला जाता है, तब तक कार्य के आउटकम को विश्वसनियता के साथ तथा विश्वसनीय मूल्य पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। साइट मोबलाइजेशन व्यय को बट्टे खाते के स्तर तक लागत पर ही मूल्यित किया जाता है।

ख) **अन्य**

i) लागत लाभ ठेकों में, सशी सामग्रियों, स्पेयर्स और श्ंडारों जो संविदा की शर्तो के अनुसार पुनर्श्गतान योग्य नहीं हैं उन्हें नीचे (पपप) के अनुसार दर सूची मूल्य के रुप में दर्शाया गया है।

ii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के संबंध में, सशी सामग्रियों (पूंजीकृत को छोड़कर) के उपयोग को वर्ष में लाभ और हानि के विवरण को प्रशरित किया जाता है।

iii) मालसूचियों का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक(एफ.आई.एफ.ओ) आधार पर और वसूलनीय मूल्य, जो शी कम हो, पर किया जाता है।

iv) अबद्ध औजारों को क्रय वर्ष में प्रशरित किया जाता है।

(vii) रोकड़ एवं बैंक शेष

रोकड़ तथा बैंक शेषों में बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, उपलब्ध चैक, मांग जमा तथा बैंक डिपाजिट, जिनकी परिपक्वता अवधि तुलन पत्र की तिथि से 12 महीने तक है, शामिल होते हैं।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समतुल्य में रोकड़, बैंक शेष, उपलब्ध चैक, बैंक ओवरड्राफ्ट पर निवल मांग जमा राशियां शामिल हैं।

(viii) प्रावधान

क. अनुरक्षण के लिए प्रावधान

1) लागत जमा लाभ ठेकों के मामलों में अनुरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है जहां लागत भुगतान वापसी योग्य है।

2) मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के मामलों में त्रुटि देयता अवधि के दौरान कम्पनी का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अनुरक्षण का प्रावधान किया जाता है, जिसमें संविदागत बाध्यता, उप–ठेकेदारों की बाध्यता, प्रचालन आवर्त और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

3) न्यूनतम 50 लाख और अधिकतम ग्राहक के साथ संविदा करार में विनिर्दिष्ट अभिकल्प गारंटी की राशि के मद्देनजर प्रत्येक संविदा में प्रबंधन के संभावित जोखिम के आधार पर अश्किल्प गारंटी अवधि के दौरान अनिश्चित व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है।

ख) **विनियोजन के लिए प्रावधान**

विदेशी परियोजनाओं में श्रमशाक्ति तथा संयंत्र व उपकरण के विनियोजन पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए विनियोजन का प्रावधान रखा गया है।

ग) **संदिग्ध ऋणों/ अग्रिमों के लिए प्रावधान**

संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान किया जाता है, जब देयों की अवधि को ध्यान में रखे बिना इनकी वसूली अनिश्चित हो । तीन वर्षो से अधिक अवधि के बकायों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है बशर्ते यह राशि वसूलनीय समझी जाये। ऋणों/अग्रिमों को बट्टे खाते डाल दिया जाता है, जब उनकी अनिश्चितता स्थापित हो जाए।

घ) **अन्य**

प्रावधान किए जाते हैं जब :–

1) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में कम्पनी का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,

2) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की सम्शवना हो, और

3) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी,

अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

(iii) राजस्व लेखांकन

क) **संविदा राजस्व का लेखांकन**

संविदा राजस्व का अनुमान उस स्तर तक लगाया जाता है जहां तक यह सम्शवना हो कि आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलते रहेंगे तथा राजस्वों का विश्वसनीय तौर पर आकलन किया जा सकेगा। संविदा प्रकृति के आधार पर राजस्व का अनुमान निम्न रूप में किया जाता हैः

(1) लागत जाम लाभ ठेकों में, राजस्व का आकलन ग्राहकों को श्रेजे जाने वाले बिलों में व्यय की स्वीकार्य मदें और उन पर निर्धारित अतिरिक्त राशि प्रशरित करके किया जाता है।

(2) नियत मूल्य ठेकों में राजस्व का आकलन प्रमाणित कार्य की सम्पूर्ण लागत तथा पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का प्रयोग करते हुए आनुपातिक लाभ को शामिल करके किया जाता है । पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का निर्धारण उस तारीख को लगाई गई लागत के ठेके की कुल अनुमानित लागत के अनुपात के रुप में किया जाता है ।

इस अवधि में किसी भी हानि के लिए पूर्ण प्रावधान होता है।

(3) दावे/मध्यस्थता संबंधी राशि (उस पर ब्याज सहित) जिसे कंपनी के पक्ष में दिया गया है, संविदा की शर्तों के अनुसार अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में है, उन्हें संविदा राजस्व के रूप में लेखांकित किया जाएगा, जब वे प्रदान की जाएंगी और जब यह निश्चित हो कि ऐसे दावों/निर्णयों को प्राप्त किया जा सकता है।

राजस्व में बिक्रीकर/वेट/डब्ल्यूसीटी/सेवा कर आदि सम्मिलित नहीं है।

(ख) अन्य राजस्व लेखांकन

(1) लाभांश आय को तब स्वीकार किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए।

(2) ब्याज आय को बकाया राशि और उस पर लागू ब्याज के उपर समय अनुपात आधार पर स्वीकर किया जाता है।

(x) संयुक्त उद्यम के अधीन निष्पादित ठेके

क. संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालनों में ठेकों को स्वतंत्र ठेके के रूप में लेखांकित किया जाता है।

ख. संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के द्वारा निष्पादित ठेकों के मामलों में संयुक्त उद्यम में हुए लाभ/हानि को उनके निर्धारण के वर्ष में लेखांकित किया जाता है।

(1) अनिगमित संयुक्त उपक्रम :

- लाभ या हानियों में कंपनी के भाग को संयुक्त उपक्रमों द्वारा लाभ या हानियों के निर्धारण पर लेखांकित किया जाता है।
- निवेशों को लाभ या हानियों के लेखांकन में कंपनी के भाग के निवल लागत के रूप में किया जाता है और निवल निवेश को निवेश, ऋण और अग्रिम या चालू देयताओं, जैसा भी मामला हो, के रूप में स्वीकार किया जाता है।

(2) अनिगमित संयुक्त नियंत्रित निकायः

- आय और निवेश तब स्वीकार किए जाते हैं जब उनके प्राप्त होने का अधिकार स्थापित हो।
- ऐसे संयुक्त उपक्रमों में निवेश को उस मूल्य में किसी कमी के प्रावधान के पश्चात लागत पर वहन किया जाता है, जो अस्थाई प्रकृति से इतर है।

(xi) पट्टे

क. प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों की पट्टा आय अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि लेखा विवरण में आय के रूप में लिया गया है।

ख. प्रचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों की पट्टा अदायगी को पट्टा अवधि के लिए पट्टा अवधि पर सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में लिया गया है।

(xii) निर्णीत हर्जाना और वृद्धि

क) वास्तविक रूप से प्रदत्त/वसूले गये विलंबों से उत्पन्न निर्णीत हर्जानों/दंडों को संविदा राजस्व/संविदा लागत के प्रति समायोजित किया जाएगा । तथापि,

संविदागत बाध्यता से उत्पन्न निर्णीत हर्जाने लेकिन वार्ता अधीन और अदा करने योग्य नहीं है और ग्राहक से वसूला नहीं गया, हो तो उसे प्रासंगिक देयता के रूप में माना जाता है। संभावित निर्णत हर्जाने के मामले में जहां ग्राहक द्वारा समय विस्तार प्रदान किया गया है, दंड लगाने के अपने अधिकार सहित, वहां इसे आकस्मिक देयता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

ख) वृद्धि प्राप्य/देय को ठेके के प्रावधान के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। वृद्धि प्राप्य लेकिन परियोजना लेखाओं को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व प्रमाणित न हो तो, उसे चालू कार्य में शामिल किया जाता है।

(iii). अनुसंधान और विकास व्यय

अनुसंधान और विकास पर व्ययों को लाभ/हानि में प्रभारित किया जाता है। उत्पादों की विकास लागत को लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है, जबतक कि उत्पाद की प्रौद्योगिकीय व्यवहारर्यता स्थापित न हो, जिस मामले में ऐसे व्यय को पूंजीकृत किया जाता है।

(xiv). संसाधनों को जुटाने पर व्यय

संसाधनों को जुटाने के लिए नई परियोजनाओं पर आरम्भिक ठेका व्ययों का निर्धारण उस कार्य के वर्ष में प्रगतिरत निर्माण कार्य के रुप में किया जाता है जिसे वित्त वर्ष के अन्त में ठेके के पूरा होने के स्तर पर उसी प्रतिशत में आगामी वर्षो के लिए परियोजना में पूर्व दरों पर प्रशरित माना जाएगा ।

(xv). मूल्यह्रास एवं परिशोधन

मूर्त परिसंपत्तियां

क) मूर्त पसिंपत्तियों पर मूल्ह्रास का प्रावधाना कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–।। में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर सीधी लाइन आधार पर किया जाता है।

ख) पट्टे की भूमि के संबंध में (पट्टे से इतर) मूल्यह्रास पट्टे की अवधि के अनुपात में प्रदान किया जाता है।

ड) वर्ष के दौरान पृथक रुप से 5000 रू. तक की लागत वाली मूर्त परिसम्पत्तियों को पहचान के लिए 1 रुपए के टोकन मूल्य के आधार पर पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

क) 25 लाख रुपए से अधिक मूल्य के प्रत्येक साफ्टवेयरों को उक्त साफ्टवेयर के सफलतापूर्वक प्रचालित होने की तिथि से सीधी रेखा आधार पर 36 महीनों के अवधि में परिशोधित किया जाएगा बशतें प्रत्येक वित्त वर्ष में अंत में इसकी समीक्षा हो। पहचान के लिए 1 रुपए के टोकन मूल्य के आधार पर, 25 लाख रुपए तक के मूल्य के प्रत्येक साफ्टवेयर को क्रय के वर्ष में पूर्णत परिशोधित किया जाएगा।

ख) उपर्युक्त लेखांकन नीति सं. (पअ)(घ) में उल्लिखित पूंजी व्यय को उस वर्ष से पट्टा अवधि पर परिशोधित किया जाता है, जिस वर्ष संबंधित परियोजना वाणिज्यिक प्रचालनों में आई है।

(xvi). परिसंपत्तियों की क्षति

किसी परिसंपत्ति को क्षतिपूर्ण तब माना जाता है जब उक्त परिसंपत्ति का वसूलनीय मूल्य परिसंपत्ति की वहन लागत से अधिक हो जाता है और इंपेयर्ड हानि को उस वर्ष के लाभ हानि खाते में लेखांकित किया जाता है, जिसमें परिसंपत्ति को क्षति के रूप में पहचाना गया है। कंपनी प्रत्येक रिपार्टिंग तिथि पर क्षतिपूर्ण घाटे की अनुमानित राशि का आकलन करती है। पूर्व लेखांकन अवधि में लेखांकित इंपेयर्ड क्षति को रिवर्स किया जाता है यदि वसूलीयोग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होता है और ऐसी हानियां अब विद्यमान नहीं हैं या कम हो गई हैं। व्युत्क्रम या आंशिक हानियों को लाभ व हानि विवरण में लेखांकित किया जाएगा।

(xvii). उधार लागतें

क) सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रुप में प्रभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं।

ख) पूँजीगत परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी उधार लागतों को पूंजीगत किया जाता है।

(xviii) कर्मचारी लाभ

(क) अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान किए जाने हेतु संभावित अल्पकालीन कर्मचारी लाभों की गैर–रियायती राशि को उस अवधि के दौरान व्यय के रूप में लेखांकित किया जाएगा जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

(ख) सेवा पश्चात लाभ तथा अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

i) भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ परिशिषित अंशदान योजना है। भविष्य निधि ट्रस्ट तथा पेंशन ट्रस्ट के लिए अंशदान को उस वर्ष के लिए लाभ हानि खाते के विवरण में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष अंशदान देय है।

ii) लेखांकन मानक–15 के आधार पर उपदान का प्रावधान वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

ग. **अन्य :**

i) कंपनी में कार्य करने वाले नामांकन/सेकेंडमेंट आधार पर तथा धारक कंपनी के रोल वाले कर्मचारी। अवकाश नकदीकरण, उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान धारक कंपनी द्वारा वर्ष के अंत में बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ii) नामांकन/सेकेंडमेंट आधार पर कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान का प्रावधान धारक कंपनी द्वारा अपने पीएफ ट्रस्ट में संचित आधार पर किया जाता है।

iii) इसी प्रकार, नामांकन/सेकेंडमेंट आधार पर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के अन्य सभी प्रावधान धारक कंपनी द्वारा किए जाएंगे।

iv) संविदा कर्मचारी के लिए अवकाश वेतन का प्रावधान लेखा बहियों में किया जाता है क्योंकि उन्हें कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं है।

(xix). पूर्व अवधि समायोजन और असाधारण मदें

क) आय/व्यय से संबंधित पूर्व अवधि और पूर्वप्रदत्त व्यय जो प्रत्येक मामले में 50000 रू से अधिक न हों, उन्हें चालू वर्ष का आय/व्यय माना जाता है।

ख) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित व्ययों को व्यय–शर के वर्ष में प्रशरित किया जाता है।

(xx). कर

क) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है। अतिरिक्त करों या दायित्वों, यदि कोई हो, जैसे ही और जब निर्धारण पूरा होता है, उनका प्रावधान/भुगतान कर दिया जाता है।

ख) आस्थगित कर परिसपत्तियों को केवल उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है जहां यह युक्ति संगत निश्चितता हो कि पर्याप्त भावी आय उपलब्ध होगी, केवल उन आस्थगित कर परिसंपत्तियों को छोड़कर जहां अवशोषित मूल्यहृास या घाटे हों, को स्वीकार किया जाता है यदि वास्तव में यह निश्चितता हो कि भविष्य में इसकी उगाई के लिए भावी करयोग्य आय उपलब्ध होगी।

ग) आस्थगित आयकर का निर्धारण तुलनपत्र की तारीख तक बनाई गई या वास्तविक रूप से बनाई गई कर दरों और कर कानूनों के आधार पर किया जाता है।

(xxi) सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी ने परियोजना के शैगोलिक स्थल यथा घरेलू और अंतरराष्टन्रीय, के आधार पर दो प्राथमिक रिपोर्टिंग सेगमेंटों तथा अपने व्यावसायिक क्षेत्र यथा परार्मशदात्री सेवा, श्रमशक्ति की आपूर्ति, बहुउद्देशीय परिसरों को उप पट्टे पर देना, संयंत्र और मशीनरी और अन्यों के आधार पर दो सेकेंडरी रिपोर्टिंग सेगमेंटों को चिह्नित किया है।

(xxii) प्रति शेयर आमदनी

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की संख्या का औसत है। प्रति शेयर विलयित आमदनियों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल

लाभ और इस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

(xxiii). आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

क) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी शी मामले में किया जाता है।

1) भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हो, जब यह संश्व न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या

2) वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संश्व न हो; या

3) एक संशवित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संशवना न्यूनतम हो।

ख) आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

घ) आकस्मिक देयता निपटान पर संश्व आउटफ्लो को ध्यान मे रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

नोट सं. 2

शेयर पूंजी

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु
प्राधिकृत		
10 रूपए के 6,50,00,000 इक्विटी शेयर		
10 रूपए के 6,50,00,000 इक्विटी शेयर	**650,000,000**	**650,000,000**
जारी, अंशदायी व प्रदत्त		
10 रूपए के 6,50,00,000 इक्विटी शेयर	650,000,000	400,000,000
10 रूपए के 4,00,00,000 इक्विटी शेयर		
कुल	**650,000,000**	**400,000,000**

कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता का ब्यौरा

शेयरों का प्रकार	**शेयरधारक का नाम**	**31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु**		**31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु**	
		शेयरों की संख्या	**धारिता का प्रतिशत**	**शेयरों की संख्या**	**धारिता का प्रतिशत**
इक्विटी शेयर (प्रति शेयर 10 रूप की फेस वेल्यू)	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी)	65,000,000	100%	40,000,000	100%
	कुल	**65,000,000**	**100%**	**40,000,000**	**100%**

शेयर पूंजी का विनियोजन :

विवरण	**31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु**		**31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु**	
	शेयरों की संख्या	**राशि**	**शेयरों की संख्या**	**राशि**
आरंभिक शेयर पूंजी	40,000,000	400,000,000	40,000,000	400,000,000
जमा: वर्ष में जारी शेयर	25,000,000	250,000,000	-	-
समापन शेयर पूंजी	**65,000,000**	**650,000,000**	**40,000,000**	**400,000,000**

नोट:

1) कंपनी के पास केवल प्रति शेयर 10 रूपए मूल्य की इक्विटी की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक केवल प्रति शेयर एक मत के लिए पात्र है। दिवालियापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक उनकी शेयरधारिता के अनुपात में सभी फेफरेंशियल राशियों के संक्तिरण के पश्चाता कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

2) वर्ष के दौरान, दिनांक 25 मई 2016 को धारक कंपनी को कुल 2,50,00,000 इक्विटी शेयर जारी किए गए थे।

नोट सं 3

आरक्षित निधि एवं अतिरेक

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
क. सीएसआर गतिविधि आरक्षित निधि				
आरंभिक शेष	-			
जमाः लाभ एवं हानि विवरण से **अंतरण**	-		-	
घटाः लाभ एवं हानि विवरण से **अंतरण**	-	-	-	-
ख. सामान्य आरक्षित निधि				
आरंभिक शेष	231,135,990		121,876,248	
जमाः वर्ष के दौरान अंतरण	142,226,821	373,362,811	**109,259,742**	231,135,990
ग. लाभ और हानि विवरण में शेष				
चालू वर्ष के लिए निवल लाभ/(निवल घाटा	142,226,821		109,259,742	
जमाः आरक्षित निधि से अंतरण	-		-	
	142,226,821		109,259,742	
घटाः विनियोजन				
–आरंक्षित निधि में अंतरण	142,226,821	-	109,259,742	-
कुल		**373,362,811**		**231,135,990**

नोट सं 4

शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु
शेयर आवेदन राशि संबंधित पक्ष : इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	-	250,000,000
कुल	**-**	**250,000,000**

नोट सं.5

दीर्घकालीन देयताएं

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) व्यापार देय राशियां –सूक्ष्म, लधु एवं मध्यम उपक्रम (नोट सं.27(i)) – अन्य		
(ख) दीर्घकालीन ऋण संबंधित पक्षों से ऋण* -इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (नोट सं..30)	252,100,000	315,000,000
(ग) अन्य दीर्षकालीन देयताएं - एमएफसी के उपपट्टे से अपफ्रंट राशि (नोट सं38) - प्रतिधारण राशि/प्रतिभूति जमा राशि - अन्य	273,408,534	191,559,665
कुल	**525,508,534**	**506,559,665**

नोट सं. 6

आस्थिगित कर परिसंपत्तियां

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	01 अप्रैल 2015 को	वर्ष के दौरान जमा (घटा)	31 मार्च 2016 को
परिसंपत्तियां			
प्रावधान			
-बट्टा खाता प्राथमिक व्यय	-	-	-
- उपदान*	-	4,287	4,287
- अवकाश वेतन	1,514,622	(1,077,729)	436,893
कुल	**1,514,622**	**(1,073,442)**	**441,180**
पिछले वर्ष	1,653,687	(139,065)	1,514,622

* नोट सं. 29

आस्थिगित कर देयताएं

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	01 अप्रैल 2015 को	वर्ष के दौरान जमा (घटा)	31 मार्च 2016 को
–स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के कारण	70,366,467	44,589,275	114,955,742
कुल	70,366,467	**44,589,275**	**114,955,742**
पिछले वर्ष	10,024,946	60,341,521	70,366,467

आस्थिगित कर परिसंपत्तियां/निवल	-
आस्थिगित कर देयताएं/निवल	114,514,562

68,851,844.73

नोट सं7

प्रावधान

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	दीर्घकालीन	अल्पकालीन	01 अप्रैल 2015 को शेष	वर्ष 2015–16 के दौरान					31 मार्च 2016 को शेष	दीर्घकालीन	31 मार्च 2016 को
				संवर्धन	बट्टा खाता	उपयोग	विनिमय लाभ	विनिमय घाटा			
प्रावधान											
क कर्मचारी संबंधित											
सेवानिवृत्ति लाभ											
उपदान	-	-	-	12,388	-	-	-	-	12,388	12,388	
अवकाश वेतन	-	4,456,082	4,456,082	317,189	486,249	3,083,291	-	58,672	1,262,403		1,262,403
कुल कर्मचारी संबंधी प्रावधान	**-**	**4,456,082**	**4,456,082**	**329,577**	**486,249**	**3,083,291**	**-**	**58,672**	**1,274,791**	**12,388**	**1,262,403**
ख अन्य											
आयकर	-	53,844,496	53,844,496	42,122,382	3,909,018	30,138,274	-	-	61,919,586	-	61,919,586
कुल अन्य प्रावधान–ख	**-**	**53,844,496**	**53,844,496**	**42,122,382**	**3,909,018**	**30,138,274**	**-**	**-**	**61,919,586**	**-**	**61,919,586**
ग सकल योग (ग क ख)	**-**	**58,300,578**	**58,300,578**	**42,451,959**	**4,395,267**	**33,221,565**	**-**	**58,672**	**63,194,377**	**12,388**	**63,181,989**
घ घटा: पृथक रूप से विचारार्थ आयकर समायोजन/पृथक विचारार्थ		-	-	42,122,382	3,909,018	30,138,274	-	-	-	-	-
कुल (घ)	**-**	**-**	**-**	**42,122,382**	**3,909,018**	**30,138,274**	**-**		**-**	**-**	**-**
निवल : चालू वर्ष (ग–घ)	**-**	**58,300,578**	**58,300,578**	**329,577**	**486,249**	**3,083,291**	**-**	**58,672**	**63,194,377**	**12,388**	**63,181,989**
पिछले वर्ष	-	54,839,509	54,839,509	382,850		1,023,292		231,308	58,300,578	-	58,300,578

नोट:

नोट 29 के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ प्रावधान 1,274,791

नोट सं. 8

व्यापार देय राशियां

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
व्यापार प्राप्य		
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपम (नोट सं. 27(i))	-	-
- लघु उद्योग इकाइयां नोट सं.27(ii))	-	-
- अन्य		
(क) ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को	37,742,930	19,775,684
(ख) संबंधित पक्षों को		
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	2,059,558	10,299,868
कुल	**39,802,488**	**30,075,552**

नोट सं. 9

अन्य चालू देयताएं

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
(क) अग्रिम में प्राप्त आय	39,413,606	54,624,844
(ख) अन्य देय राशियां		
- जमा व प्रतिधारण राशियां	42,179,288	10,608,303
- सांविधिक देय राशियां	6,986,402	7,608,103
- ब्रक ओवरड्राफ्ट	-	-
- स्टाफ	1,673,461	4,113,891
- अन्य	536,530	40,676
(ग) अरक्षित ऋण – संबंधित पक्ष		
(i) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (नोट सं.30)	22,900,000	-
(घ) अन्य देय राशियां– संबंधित पक्ष		
(i) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड		
– स्टाफ के पारिश्रमिक, अन्य व्यय आदि के भुगतान के प्रति	17,852,986	21,961,032
– ऋण पर देय ब्याज	2,025,761	50,424,177
कुल	**133,568,034**	**149,381,026**

नोट सं10

स्थिर परिसंपत्तियां

(आंकड़े रुपए में)

क.सं	स्थिर परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
		01.04.2015 को	संवर्धन	बिक्री/समायोजन	31.03.2016 को	31.03.2015 तक	वर्ष हेतु	बिक्री/समायोजन	31.03.2016 को	31.03.2015 तक	31.03.2015 को
क	**मूर्त परिसंपत्तियां**										
	संयंत्र और मशीनरी	126,674,773	531,305		127,206,078	14,954,484	12,968,788		27,923,272	99,282,806	111,720,289
	कम्प्यूटर	430,599	267,470		698,069	117,430	176,399		293,829	404,240	313,169
	फर्नीचर, फिक्सचर, फर्निशिंग	102,205	165,464		267,669	45,888	21,324		67,212	200,457	56,317
	एयर कंडीशनर		82,500		82,500		13,685		13,685	68,815	-
	इलैक्ट्रिक उपकरण		50,200		50,200		8,327		8,327	41,873	-
	कार्यालय उपकरण	23,649	23,500		47,149	2,972	6,898		9,870	37,279	20,677
	चालू वर्ष कुल	**127,231,226**	**1,120,439**	**-**	**128,351,665**	**15,120,774**	**13,195,421**	**-**	**28,316,195**	**100,035,470**	**112,110,452**
	पिछले वर्ष	126,873,729	357,497	-	127,231,226	5,094,907	10,025,867	-	15,120,774	112,110,452	121,778,822
ख	**अमूर्त परिसंपत्तियां**										
	पट्टा अधिकार	959,441,576	13,295,847	-	972,737,423	16,263,767	17,253,615		33,517,382	939,220,041	943,177,809
	चालू वर्ष कुल	**959,441,576**	**13,295,847**	**-**	**972,737,423**	**16,263,767**	**17,253,615**	**-**	**33,517,382**	**939,220,041**	**943,177,809**
	पिछले वर्ष	665,947,470	293,494,106	-	959,441,576	1,566,592	14,697,175	-	16,263,767	943,177,809	664,380,878
	चालू वर्ष सकल योग	**1,086,672,802**	**14,416,286**	**-**	**1,101,089,088**	**31,384,541**	**30,449,036**	**-**	**61,833,577**	**1,039,255,511**	**1,055,288,261**
	पिछले वर्ष	792,821,199	293,851,603	-	1,086,672,802	6,661,499	24,723,042	-	31,384,541	1,055,288,261	786,159,700

नोट 1. वर्ष के लिए मूल्यह्रास/परिशोधन को निम्नानुसार आवंटित किया गया है–

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	**2015-16**	2014-15
लाभ एवं हानि विवरण		
चालू वर्ष	30,449,036	24,723,042
पूर्व अवधि	-	-
कुल	**30,449,036**	24,723,042

2. पट्टा अधिकार: कंपनी ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर एमएफसी के निर्माण के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भूमि रेलवे की है और कंपनी ने उसमें भवनों का निर्माण किया है और एमएफसी के आरंभ होने की तिथि से उन्हें 45 वर्षों का पट्टा अधिकार/वाणिज्यिक अधिकार प्राप्त है।

3. उस तिथि से पट्टा अवधि पर पट्टा अधिकार को परिशोधित किया गया है, जबसे प्रोरेटा आधार पर वाणिज्यिक प्रचालन संबंधित परियोजना में आरंभ हुआ है। वर्ष के दौरान परिशोधित राशि 172.54 लाख रुपए /पिछले वर्ष 146.97 लाख रुपए है।

नोट सं11

प्रगतिस्त कार्यशील पूंजी

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	01 अप्रैल 2015 को आरंभिक शेष	2015 के दौरान संवर्धन	सीडब्ल्यूआईपी का अमूर्त परिसंपत्तियों में पूंजीकरण (पट्टा अधिकार)	31 मार्च 3016 को शेष
प्रगतिरत कार्यशील पूंजी *	9,011,750	4,284,097	(13,295,847)	-
कुल	**9,011,750**	**4,284,097**	**(13,295,847)**	**-**

प्रगतिस्त कार्यशील पूंजी का ब्यौरा

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	01 अप्रैल 2015 को आरंभिक शेष	2015 के दौरान संवर्धन	सीडब्ल्यूआईपी का अमूर्त परिसंपत्तियों में पूंजीकरण (पट्टा अधिकार)	31 मार्च 3016 को शेष
बहुउद्देशीय परिसर – दीघा परियोजना				-
बहुउद्देशीय परिसर – सिलिगुडी परियोजना	-			-
बहुउद्देशीय परिसर – इलाहबाद परियोजना	-			-
बहुउद्देशीय परिसर – एलेप्पी परियोजना	-			-
बहुउद्देशीय परिसर – बर्धमान परियोजना	-			-
बहुउद्देशीय परिसर – बिलासपुर परियोजना	-			-
बहुउद्देशीय परिसर – ग्वालियर परियोजना				-
बहुउद्देशीय परिसर – हरिद्वार परियोजना	-			-
बहुउद्देशीय परिसर – हुबली परियोजना	-			-
बहुउद्देशीय परिसर – हैदराबाद परियोजना	-			-
बहुउद्देशीय परिसर – इंदौर परियोजना				-
बहुउद्देशीय परिसर – जबलपुर परियोजना	-			-
बहुउद्देशीय परिसर – जोधपुर परियोजना	-			-
बहुउद्देशीय परिसर – जम्मू परियोजना/यात्री सुविधा केन्द्र	9,011,750	719,715	(9,731,465)	-
बहुउद्देशीय परिसर – जम्मू परियोजना/रेल यात्री निवास		3,564,382	(3,564,382)	-
बहुउद्देशीय परिसर – कन्नूर परियोजना	-			-
बहुउद्देशीय परिसर – मदुरै परियोजना	-			-
बहुउद्देशीय परिसर – मैसूर परियोजना	-			-
बहुउद्देशीय परिसर – रायपुर परियोजना	-			-
बहुउद्देशीय परिसर – राजगीर परियोजना	-			-
बहुउद्देशीय परिसर – रामपुरहाट परियोजना	-			-
बहुउद्देशीय परिसर – तारापीठ परियोजना	-			-
बहुउद्देशीय परिसर – थिरूवल्ला परियोजना	-			-
बहुउद्देशीय परिसर – उदयपूर परियोजना	-			-
कुल	**9,011,750**	**4,284,097**	**(13,295,847)**	**-**

संदर्भ नोट सं - 31

नोट सं. 13

दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
क. अरक्षित वसूलीयोग्य				
प्रतिभूति जमा राशि				
– सांविधिक विभागों के साथ	358,188	**358,188**	358,188	**358,188**
कुल		**358,188**		**358,188**

उपर उल्लिखित ऋण और अग्रिम कंपनी, फर्म में निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण शामिल नहीं हैं, जिनमें निदेशक साझेदार हैं या निजी कंपनी जिनमें निदेशक सदस्य हैं, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़कर जैसा कि उपर प्रकट किया गया है।

विवरण	2015-16	2014-15
निदेशक *	-	-
कंपनी के अन्य अधिकारी*	-	-
फर्म जिसमें निदेशक साझेदार हैं *	-	-
निजी कंपनी जिनमें निदेशक सदस्य है	-	-

* पृथक रूप से या संयुक्त रूप से

उपर उल्लिखित ऋण और अग्रिम कंपनी, फर्म में निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण शामिल नहीं हैं, जिनमें निदेशक साझेदार हैं।

नोट सं. 13

अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(आकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
क. रक्षित वसूली योग्य				
– संचित ब्याज:				
– स्टाफ अग्रिम	267,554		254,253	
– ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता एवं अन्य			-	254,253
		267,554		
ख. अरक्षित वसूली योग्य				
12 महीने से अधिक के सावधि जमा राशियां		-		-
– संचित ब्याज:				
– स्टाफ अग्रिम	-		-	
– ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता एवं अन्य	-		-	
		-		-
ग. संदिग्ध				
घटा : हेतु प्रावधान				
कुल		**267,554**		**254,253**

उपर उल्लिखित अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण शामिल नहीं हैं, जिनमें निदेशक साझेदार हैं।

नोट सं. 14

दरसूचियां

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
क. सामग्री एवं भंडारण		
– उपलब्ध	40,406	-
–तीसरे पक्ष के पास	-	-
– पारगमन में	-	-
	40,406	-
ख. लागत पर प्रगतिरत निर्माण कार्य	-	-
कुल	**40,406**	**-**

नोट सं. 15

व्यापार प्राप्य

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
अरक्षित:				
भुगतान के लिए देय होने की तिथि से छह महीनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया				
– वसूली योग्य				
(क) संबंधित पक्ष से – इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	42,797,115		32,370	
(ख) अन्यों से	74,854,889		16,277,967	
- संदिग्ध समझा गया		117,652,004	-	16,310,337
भुगतान के लिए देय होने की तिथि से छह महीनों से कम की अवधि के लिए बकाया				
- व्यापार प्राप्य				
– वसूली योग्य				
(क) संबंधित पक्ष से – इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	51,401,545		72,524,961	
(ख) अन्यों से	177,357,637		78,176,144	
- संदिग्ध समझा गया	-		-	
		228,759,182		150,701,105
- ग्राहकों से प्रतिधारण राशि				
– वसूली योग्य	2,402,614		2,891,614	
- संदिग्ध समझा गया और प्रावधान किया गया				
		2,402,614		2,891,614
–ग्राहकों से प्राप्त राशि				
– वसूली योग्य	-		-	
- संदिग्ध समझा गया और प्रावधान किया गया	-		-	
		-		-
घटा: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		-		-
कुल		**348,813,800**		**169,903,056**

उपर उल्लिखित व्यापार प्राप्य में कंपनी, फर्म में निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण शामिल नहीं हैं, जिनमें निदेशक साझेदार हैं या निजी कंपनी जिनमें निदेशक सदस्य हैं, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़कर जैसा कि उपर प्रकट किया गया है।

* धारक कंपनी की देय राशियों सहित:

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2016 को
भुगतान के लिए देय होने की तिथि से छह महीनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया	42,797,115	32,370
भुगतान के लिए देय होने की तिथि से छह महीनों से कम की अवधि के लिए बकाया	51,401,545	72,524,961
कुल	**94,198,660**	**72,557,331**

नोट सं.16

रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य				
क) उपलब्ध रोकड़		-		-
ख) उपलब्ध चैक/डाफ्ट		-		-
ग) बैंकों में शेष				
–चालू खातों में	19,398,878		3,802,579	
–फ्लक्सी खातों में	34,186,255		56,848,889	
– सावधि जमा खाते (3 माह से कमी की परिपक्वता वाले)	219,852,596	273,437,729	197,781,439	258,432,907
घ) पारमगम में प्रेषण *		-		150,000,000
अन्य बैंक शेष				
– सावधि जमाखाते (3 माह से 12 माह की परिपक्वता वाले)		155,539,000		-
कुल		**428,976,729**		**408,432,907**

नोट सं 17

अल्पकालीन ऋण और अग्रिम

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
क. रक्षित, वसूली योग्य				
स्टाफ ऋण एवं अग्रिम	98,706		232,314	
सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकेदारों से अग्रिम	-	98,706	-	232,314
ख. अरक्षित, वसूली योग्य				
संबंधित पक्षों से अग्रिम				
–ठेकेदारों से अग्रिम–इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	-		-	
सांविधिक विभागों में जमा राशि	-		-	
स्टाफ ऋण एवं अग्रिम	71,560		32,851	
ग्राहकों से वसूलीयोग्य दावे	-		-	
बिक्री कर	-		-	
सेवाकर/निवल	782,980		38,462	
आयकर, टीडीएस सहित	59,262,768		49,527,448	
प्रदत्त व्यय	35,995		188,413	
अन्य	-	60,153,303	-	49,787,174
कुल		**60,252,009**		**50,019,488**

उपर उल्लिखित ऋणों व अग्रिमों में कंपनी, फर्म में निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण शामिल नहीं हैं, जिनमें निदेशक साझेदार हैं या निजी कंपनी जिनमें निदेशक सदस्य हैं, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़कर जैसा कि उपर प्रकट किया गया है।

निदेशकों को देय राशियों का ब्यौरा:

विवरण	2015-16	2014-15
स्टाफ ऋण एवं अग्रिम	-	-

नोट सं. 18

अन्य चालू परिसंपत्तियां

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
क. संचित ब्याज		
स्टाफ ऋण और अग्रिम/रक्षित		
स्टाफ ऋण और अग्रिम/अरक्षित		
बैंकों के पास एफडीआर	10,452,593	1,036,753
ख. बिल योग्य राजस्व	11,534,016	-
कुल	**21,986,609**	**1,036,753**

नोट सं. 19

प्रचालनों से राजस्व

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
क. सेवाओं की बिक्री		
अभिकल्प परामर्श		
–अन्य	-	29,832,329
–संबंधित पक्ष	-	-
उप–कुल	-	29,832,329
एमएफसी के उप-पट्टाकरण से पट्टा किराया *		
–अन्य	147,498,854	80,947,124
–संबंधित पक्ष	-	-
उप–कुल	147,498,854	80,947,124
श्रमशक्ति आपूर्ति		
–अन्य	-	-
–संबंधित पक्ष	64,225,757	177,821,930
उप–कुल	64,225,757	177,821,930
संयंत्र व मशीनरी को पट्टे पर देना		
–अन्य	-	-
–संबंधित पक्ष	66,207,431	61,699,378
उप–कुल	66,207,431	61,699,378
परियोजना प्रबंधन परामर्श		
–अन्य	13,325,064	-
–स्वच्छ भारत अभियान परियोजनाओं से	37,778,156	
–संबंधित पक्ष	-	-
उप–कुल	51,103,220	-
ख.अन्य प्रचालनिक राजस्व		
सीएसआर एवं स्वच्छ भारत अभियान परियोजनाओं का निष्पादन		
–अन्य	409,549,510	8,956,084
–संबंधित पक्ष	1,886,803	4,618,765
उप–कुल	411,436,313	13,574,849
कुल	**740,471,575**	**363,875,610**

* संदर्भ नोट 38

नोट सं. 20

अन्य आय

(आंकड़े रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
बांडों से ब्याज/सकल	-	-
बैंक ब्याज सकल	29,103,293	4,384,426
स्टाफ अग्रिम पर ब्याज	13,651	28,355
प्राप्यों एवं अग्रिमों पर ब्याज	23,316,901	17,563,553
आयकर वापसी पर ब्याज	584,860	-
अन्य गैर प्रचालनिक आय		
–अन्यों से	374,805	1,091,403
संबंधित पक्षों से /इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	24,871,401	28,164,958
कुल	**78,264,911**	**51,232,695**

* संदर्भ नोट 46

नोट सं. 21

प्रचालन की लागत, कर्मचारी लाभ व्यय और अन्य व्यय

(आंकड़े रुपए में)

विवरण	वर्ष के लिए प्रचालनिक व्यय				वर्ष के लिए प्रशासनि व्यय	
	2015-16		2014-15		2015-16	2014-15
1. व्यय						
प्रचालनों की लागत (i)	463,890,187		57,125,165			
कार्यशील व्यय का योग		**463,890,187**		**57,125,165**		
2. अन्य व्यय						
दरें एवं कर	-		-		2,642,514	-
यात्रा एवं कन्वेयंस	-		-		8,187,094	2,576,396
मुद्रण एवं स्टेशनरी	-		-		262,205	123,421
पोस्टेज, दूरभाष एवं टेलेक्स	-		-		92,299	51,236
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	-		-		768,323	457,140
बीमा	-		-		254,284	188,313
व्यवसाय संवर्धन	-		-		-	-
किराया	-		-		2,131,373	-
प्रशिक्षण एवं भर्ती व्यय	-		-		81,560	-
वाहन प्रचालन एवं अनुरक्षण	-		-		1,957,629	-
बैंक और अन्य वित्तीय प्रभार	-		-		87,425	306,155
लेखापरीक्षा पारिश्रमिक (ii)	-		-		103,097	93,725
विज्ञापन एवं प्रचार	-		-		1,023,710	2,214,227
विविध व्यय	-		-		1,351,989	332,124
शुल्क तथा अंशदान प्रभार	-		-		35,656	2,269,822
मानदेय	-		-		15,500	14,000
मरम्मत एवं अनुरक्षण	-		-		925,162	11,600
सीएसआर	-		-		1,036,271	-
कुल अन्य व्यय		-		-	20,956,091	8,638,159
कुल प्रचालनिक व्यय (1+2)		**463,890,187**		**57,125,165**		
3. कर्मचारी लाभ व्यय						
वेतन एवं पारिश्रमिक	34,923,773		62,883,048			
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	2,887,342		1,818,162			
प्रावधान/सृजित	329,577		382,850			
घटाप्रावधान/बट्टा खाता	(486,249)					
कर्मचारी लाभ व्यय का योग		**37,654,443**		**65,084,060**		
4. विनिमय उच्चावचन लाभ						
विनिमय उच्चावचन घाटा					1,740,922	2,508,310
घटा: विनिमय उच्चावचन घाटा					(1,166,068)	(1,906,658)
निवल विनिमय उच्चावचन घाटा					574,854	601,652
कुल प्रशासनिक व्यय					**21,530,945**	**9,239,811**

प्रचालन लागतों का ब्यौरा

विवरण	2015-16	2014-15
कार्यशील व्यय : सीएसआर	418,440,235	11,295,624
कार्यशील व्यय : परामर्श कार्य	6,108,281	23,805,040
कार्यशील व्यय : एमएफसी पट्टे पर देना	35,771,429	17,428,098
कार्यशील व्यय : ईएमसी प्रयोगशाला का प्रचालन एंव अनुरक्षण	3,570,242	4,596,403
कुल	**463,890,187**	**57,125,165**

सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान	**2015-16**	2014-15
(i) लेखापरीक्षा शुल्क : चालू वर्ष	**69,575**	63,250
(ii) कर लेखापरीक्षा शुल्क : चालू वर्ष	**20,872**	18,975
(iii) यात्रा एवं आउट ऑफ पॉकेट भत्ता		
– सीनीय	**12,650**	11,500
लाभ एवं विवरण खाते में प्रभारित राशि	**103,097**	93,725

प्रकटनों सहित लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

23. प्रासांगिक देयताएं जिनका प्रावधान नहीं किया गया है :

(क)कम्पनी के विरूद्ध वे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है कि राशि **शून्य रुपए** (शून्य रुपए)है।

(ख) इसके अतिरिक्त, कंपनी के विरुद्ध कोई मुकदमा लंबित नहीं हैं।

24. पूंजी प्रतिबद्धताः

17.02.2009 के समझौता ज्ञापन के अनुसार आकलित किए जाने वाले 10529.93 लाख रुपए (10,529.93 लाख रुपए) के ठेकों के कुल अनुमानित मूल्य में से 9727.37 लाख रुपए (9683.53 लाख रुपए) तक के कार्य को नियत परिसंपत्तियों के अंतर्गत प्रगतिरत पूंजीगत कार्यो में दर्शाया गया है। 802.56 लाख रुपए (845.40 लाख रुपए) की अनुमानित राशि के ठेकों को पूंजीगत लेखों में बनाये रखा गया है और उनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

25. क) ऋणदाताओं, अग्रिमों, देनदारों के अधीन दर्शाए जा रहे कुछ शेष विषयानुसार पुष्टिकरण/समायोजन यदि कोई हो, के मद्देनजर हैं। कम्पनी उपर्युक्त सहित, पक्षों को पुष्टि के लिए पत्र भेज रही है।

ख) बिक्री–कर (टीडीएस सहित), मूल्य संवर्धन कर (वीएटी), आयकर(टीडीएस सहित) को पुष्टि/पुनर्विनियोजन/समायोजन, यदि कोई हो, के मद्देनजर अग्रिमों के अंतर्गत दर्शाया गया है।

ग) प्रबन्धन के मतानुसार वसूली पर चालू परिस्थितियों ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया है, को उस मूल्य से कम नहीं होना चाहिए जिस मूल्य पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

26. प्रति शेयर मौलिक आय का परिकलन कर पश्चात निवल आय रुपए 1422.27 **लाख रुपए** (1092.60 लाख रुपए) को पूर्णत औसत संख्या में 6,13,69,863 (4,00,00,000) पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयरों से विशजित करके किया गया है। चूंकि यहां कोई अवमिश्रित शामिल नहीं है, प्रति शेयर अवमिश्रित आय प्रति शेयर मूल आय के समान है।

27. क) कंपनी को अपने किसी आपूर्तिकर्ता से इस आशय की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006(एमएसएमईडी अधिनियम) के अंतर्गत आते हैं। इस सूचना के आधार पर, 31 मार्च 2016 को सूक्ष्म, लधु तथा मध्यम उद्यमों को कोई राशि देय नहीं है।

ख) कंपनी को अपने किसी आपूर्तिकर्ता से इस आशय की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वे लघु औद्योगिक यूनिट हैं। इस सूचना के आधार पर 31 मार्च 2016 को लधु औद्योगिक उपक्रम को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया राशि **शून्य** (शून्य) है।

28. **(क) आयातों पर सीआईएफ मूल्यः**

(रुपए लाख में)

विवरण	**2015–16**	**2014–15**
सामग्री / मशीनरी	शून्य	शून्य
उपशेज्य, घटक और कलपुर्जे	7.01	शून्य
कुल	7.01	शून्य

(ख) विदेशी मुद्रा में अर्जन : (रुपए लाख में)

विवरण	**2015-16**	**2014-15**
कार्य प्राप्तियां	**1,304.34**	2,395.22
बैंक ब्याज	**0.35**	0.69
अन्य ब्याज	**0.00**	0.00
विदेशी विनिमय उच्चावचन लाभ(निवल)	**0.00**	0.00
अन्य	**248.71**	281.65
कुल	**1,553.40**	2,677.56

(ग) विदेशी मुद्रा में व्यय :

(रुपए लाख में)

विवरण	2015-16	2014-15
प्रचालनिक व्यय	**153.37**	507.57
परामर्शदात्री प्रशर	**1.24**	1.42
विदेशी विनिमय उच्चावचन हानि (निवल)	**5.75**	6.02
प्रशासनिक तथा अन्य व्यय	**23.13**	101.71
कुल	**183.49**	616.72

29. क. वर्ष के दौरान 2 कर्मचारियों को नियमित रूप से नियुक्त किया गया है। इनके भविष्य निधि अंशदान, उपदान, छुट्टी नगदीकरण तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को इंड एएस–19, संशोधित की शर्तों के अनुसार लेखांकित किया गया है।

ख. तथापि, कंपनी ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए अल्पकालीन संविधा आधार पर कतिपय कर्मचारिया को नियुक्त किया है। इन कर्मचारियों के वेतन को लेखाबहियों में अंकित किया जाता है और उन्हें कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं है, अवकाश नकदीकरण को छोड़कर, जिसके लिए लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है।

ग. नियमित/संविदा आधार पर तैनात इरकॉन आईएसएल के कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान को कंपनी द्वारा नियमित रुप से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा कराया जा रहा है।

घ. इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड में कार्यरत कुछ कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के रोल में हैं। इनके भविष्य निधि अंशदान, उपदान, छुट्टी नगदीकरण तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को इनकी धारक कंपनी से इनवाइज/डेबिट एडवाइस के आधार पर प्रगतिरत शीर्षों में पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत रेखांकित किया गया है। एएस–19 की शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभों का प्रावधान

लेखांकन नीति (नोट सं.1, बिन्दु सं.xviii) के अनुसार उनकी धारक कंपनी द्वारा किया जा रहा है।

ड. प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान को धारक कंपनी द्वारा अपने भविष्य निधि ट्रस्ट में नियमित रुप से जमा कराया जा रहा है।

30. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी धारक कंपनी से शून्य रुपए(650 **लाख रुपए)** का ऋण लिया है। वर्ष के दौरान 400 लाख रुपए (2315.40 लाख रुपए) की राशि का पुनर्भुगतान किया गया है और अब बकाया ऋण 2750 लाख रुपए (3150.00 लाख रुपए) है। वर्ष के दौरान ऋण पर भुगतान किया गया देय ब्याज **391**.09 लाख रुपए (560.59 लाख रुपए) है।

31. (1) रेल मंत्रालय ने रेल बजट 2009–10 के तहत चिह्नित स्थलों पर बहुउद्देशीय परिसरों के विकास की घोषणा की है जिन्हें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) द्वारा संयुक्त रुप से विकसित किया जाएगा।

(2) तदनुसार इरकॉन तथा आरएलडीए के बीच 21.08.2009 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। 21 अगस्त, 2009 को इरकॉन तथा आरएलडीए के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तो के अनुसार बहुउद्देशीय परिसरों के विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण का कार्य इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) द्वारा किया जाना है। इसके अतिरिक्त, बहुउद्देशीय परिसरों के लिए आरएलडीए तथा डब्ल्यूओएस यथा इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के बीच दिनांक 04.07.2013 को एक पट्टा करार पर हस्ताक्षर किए थे।

(3) निर्माण गतिविधियों से संबंधित प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सशी व्ययों को पूंजीकृत किया गया है और उनका मूल्यन लागत पर किया गया है। निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष व्यय/ आकस्मिक व्यय को संबंधित निर्माण या आकस्मिकता से प्रत्यक्ष रुप से संबंधित व्यय के स्तर तक लागत आधार पर पूंजीकृत किया गया है।

(4) वर्ष के दौरान 01 बहुउद्देशीय परियोजनाओं, यथा जम्मू/यात्री सुविधा केन्द्र, जिन्हें पूर्व में प्रगतिरत पूंजीगत कार्यो के अंतर्गत दर्शाया गया था, को अमूर्त

परिसंपत्तियों (नियत परिसिंपत्तियों) के अंतर्गत पट्टा (वाणिज्यिक) अधिकारों में पूंजीकृत और हस्तांतरिक किया गया था।

32. (1) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि. (इरकॉन आईएसएल) के बीच 03.11.2011 तथा 08.06.2012 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन की शर्तो के अनुसार, इरकॉन चाहता है कि इरकॉन के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यो के कुछ क्षेत्रों में इरकॉन आईएसएल, डीपीई द्वारा जारी सीएसआर पर दिशानिर्देशों के अनुसार एक विशेष एजेंट के रुप में कार्य करे।

(2) समझौता ज्ञापन के अनुसार, सीएसआर गतिविधियों के निष्पादन के लिए इरकॉन द्वारा कार्य की लागत के प्रति इरकॉन आईएसएल मार्जिन के प्रति 5 प्रतिशत की निर्धारित राशि का भुगतान करेगी। इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र से राजस्व 18.87 लाख रुपए (46.19 लाख रुपए) है।

(3) धारक कंपनी से इतर अन्य विभिन्न ग्राहकों के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रभारों सहित सीएसआर और स्वच्छ भारत अभियान कार्यों से राजस्व 4472027 लाख रूपए (89.56 लाख रूपए) है।

33. दिनांक 26.12.2012 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) और इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच करार के अनुसार इरकॉन आईएसएल को श्रमिक–प्रतिदिन आधार पर इरकॉन की श्रीलंका परियोजना के लिए ''श्रमशक्ति की आपूर्ति'' का कार्य प्रदान किया गया है। वर्ष के दौरान इससे प्राप्त राजस्व 373.13 लाख रुपए (1315.08 लाख रुपए) है। इस पर किया गया व्यय 153.27 लाख रुपए (521.48 लाख रुपए) है।

34. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच दिनांक 31.03.2015 के करार के अनुसार, इरकॉन आईएसएन ने दिनांक 23.11.2013 से किराया प्रशर पर इरकॉन की श्रीलंका परियोजना को ''डोमेटिक टेंपिंग मशीन'' को पट्टे पर दिया था। वर्ष के दौरान इससे 662.07 लाख रुपए (616.99 लाख रुपए) का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस पर किया गया व्यय 145.91 लाख (100.13 लाख) है ।

35. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच दिनांक 01.04.2013 के करार के अनुसार, इरकॉन आईएसएल ने व्यक्ति–प्रति दिन आधार पर इरकॉन की मलेशिया परियोजना को ''श्रमशक्ति की आपूर्ति'' का कार्य सौंपा है। वर्ष के दौरान इससे 296.13 लाख **रुपए** (463.14 लाख रुपए) का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस पर किया गया व्यय है 18.23 लाख (4.40 लाख रूपए)।

36. कंपनी ने विभिन्न ग्राहको से लागज जमा आधार पर परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय ब्लॉकों के निर्माण का कार्य प्रदान किया गया है। धारक कंपनी से इतर विभिन्न ग्राहाकें से इन परियोजनाओं और सीएसआर कार्य के अंतर्गत बुक किया गया राजस्व 4473.27 लाख रूपए (शून्य रूपए) है।

37. (क) वर्ष के दौरान, धारक कंपनी ने ईएमपी लेब के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए कंपनी को जम्मू मे परिसंपत्तियो सहित ईएमपी लैब सुदुर्द कर दी है। कंपनी ने वर्ष के दौरान जम्मू मे ईएमपी लैब के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए 35.70 लाख रूपए (45.96 लाख रुपए) खर्च किए है, जिसे लाभ एवं हानि खाते मे प्रभारित किया गया है और उपर्युक्त खर्च में 1.07 लाख रूपए (0.76 लाख रुपए) के विद्युत व्यय शामिल हैं, जिसके लिए बिल इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम पर है।यह श्रमशक्ति और अन्य प्रशासनिक व्ययो के लिए आरंभिक व्यय है। कंपनी ने पहले ही एनएबीएल की मान्यता के लिए आवेदन कर दिया है और आगामी वर्ष मे इससे राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी की जम्मू में ईएमपी प्रयोगशाला के लिऐ राष्ट्रीय परीक्षण एवं कैलिबरेशन प्रयोगशाला मान्यता बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है और जम्मू और कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त हुई है। अब इस प्रयोगशाला ने व्यवसाय प्राप्त करने के लिए विपणन प्रयास आरंभ कर दिए हैं क्योंकि यह प्रयोगशाला प्रचालनिक है।

38. कंपनी ने 20 बहुउद्देशीय परिसरों को पट्टे पर दिया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने 3 दिसंबर 2015 को कन्नूर में एमएफसी के उप पट्टा करार को रद्द कर दिया है।

इसके लिए कंपनी को उप–पट्टाधारी से एकमुश्त भुगतान तथा मासिक किराया प्राप्त हुआ /प्राप्य है। वर्ष के दौरान पट्टे के अंतर्गत कुल राजस्व 1474.99 लाख रुपए (809. 47 लाख रुपए) हुआ है। उप–पट्टेधारी से प्राप्त/प्राप्य एकमुश्त भुगतान को आय के रुप में प्रोरेटा अधार पर पट्टा अवधि के लिए सीधी–रेखा आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में आय के रुप में दर्शाया गया है।

39. पट्टों के संबंध में प्रकटनः

I. कंपनी ने प्रचालनिक पट्टे पर कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं की है ।

II. बहुउद्देशीय परिसरों के लिए प्रचालनिक पट्टे

(क) कंपनी ने दिनांक 31.03.2016 को अनेक उप–पट्टाधारियों को 19 (उन्नीस) बहुउद्देशीय परिसर उप पट्टे पर दिए हैं।

(ख) भावी न्यूनतम पट्टा किराया/ गैर–निरसन योग्य पट्टे के अंतर्गत प्राप्य निम्नानुसार हैः

(रूपए लाख में)

पट्टा किराया	**एक वर्ष से अधिक नहीं**	**एक वर्ष से 5 वर्ष तक**	**5 वर्ष के बाद**
प्राप्य	1262064 (1385.72)	170.30 (1395.02)	शून्य (शून्य)
देय	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

ग. वर्ष के दौरान बहुउद्देशीय परिसरों को पट्टे पर देने के संबंध में मूल्यह्रास/परिशोधन का प्रकटन :–

(रूपए लाख में)

परिसंपतियों का विवरण	**2015–16**	**2014–15**
परिसंपतियों की सकल राशि	9,727037	9,594.41
संचित मूल्यह्रास/परिशोधन	1335.17	162.64

(रूपए लाख में में)

विवरण	**2015–16**	**2014–15**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	172.54	146.97

II. डोमेटिक टेंपिंग मशीन के लिए प्रचालन पट्टेः

(क) कंपनी ने दिनांक 31.03.2016 को धारक कंपनी यथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को एक डोमेटिक टेंपिंग मशीन पट्टे पर उपलब्ध कराई है।

(ख) यह पट्टा गैर–रद्दीकृत नहीं है।

(ग) वर्ष के दौरान दर्शाई गई पट्टा आय 662.07 लाख रुपए (616.99 लाख रुपए) है।

(घ) इस पट्टा व्यवस्था में, डोमेटिक टेंपिंग मशीन को प्रचालक तथा उपशेज्यों के बिना पट्टे पर दिया गया है।

(ड.) मशीन के लिए मासिक किराया स्थिर व परिवर्ती किराए के रुप में प्राप्त होगा। पट्टाधारी द्वारा परिवर्ती किराए का भुगतान सामान्य कार्य घंटों पर अतिरिक्त कार्य घंटों के आधार पर पूर्व निर्धारित दर पर किया जाएगा।

40. **सेगमेंट रिपोर्टिंगः**

प्राथमिक सेगमेंट सूचना (शैगोलिक):

(लाख रुपए में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	2015-16	2014-15	**2015-16**	2014-15	**2015-16**	2014-15
क. आवर्त्त						
प्रचालन से राजस्व	**1,368.06**	2,163.87	**1,586.98**	676.55	**2,955.04**	2,840.42
अन्य आय	**(1.85)**	3.83	**0.28**	-	**(1.57)**	3.83
अंत खण्ड	**129.26**	98.91	**175.23**	148.32	**304.49**	247.23
कुल राजस्व	**0.00**	0.29	**391.09**	560.30	**391.09**	560.59
ख. परिणाम	**1,240.65**	2,060.84	**1,020.38**	(32.07)	**2,261.03**	2,028.77
प्रावधान पूर्व लाभ, मूल्यह्रास, ब्याज और कर	**148.93**	331.36	**689.83**	604.81	**838.76**	936.17
घटाएँ–प्रावधान और पश्चलिखित (निवल)	**1,091.72**	1,729.48	**330.55**	(636.88)	**1,422.27**	1,092.60
मूल्यह्रास						

ब्याज	**2,044.03**	1,929.18	**16,955.48**	15,013.87	**18,999.51**	16,943.05
कर पूर्व लाभ	**987.94**	1,117.20	**9,404.62**	9,435.68	**10,392.56**	10,552.88
कर व्यय	**49.33**	420.58	**8,716.55**	7,711.11	**8,765.88**	8,131.69
कर पश्चात लाभ	**0.00**	0.00	**54.04**	112.61	**54.04**	112.61
ग. अन्य सूचना	**1,368.06**	2,163.87	**1,586.98**	676.55	**2,955.04**	2,840.42
परिसंपत्तियां	**(1.85)**	3.83	**0.28**	-	**(1.57)**	3.83
स्थिर परिसंपत्तियां शामिल हैं (निवल ब्लाक)	**129.26**	98.91	**175.23**	148.32	**304.49**	247.23
देयताएं	**0.00**	0.29	**391.09**	560.30	**391.09**	560.59
पूंजीगत व्यय सावधिक परिसंपत्तियों को जोड़कर	**1,240.65**	2,060.84	**1,020.38**	(32.07)	**2,261.03**	2,028.77

गौण सेगमेंट सूचना (व्यापार):

(रुपए लाख में)

विवरण	**प्रचालन आय**		**सेगमैन्ट परिसम्पतियां**		**स्थिर परिसंपतियां जोड़कर**	
	2015-16	2014-15	**2015-16**	2014-15	**2015-16**	2014-15
परामर्श सेवा	**511.03**	298.32	**35.96**	-	**-**	-
जनशक्ति की आपूर्ति	**642.26**	1,778.22	**749.88**	654.49	**-**	-
एमएफसी को उप पट्टे पर देना	**1,474.99**	809.47	**11,233.96**	10,291.39	**42.84**	109.04
संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देना	**662.08**	616.99	**1,294.15**	1,275.06	**-**	-
अन्य	**4,114.36**	135.75	**5,685.56**	4,722.11	**11.20**	3.57
कुल	**7,404.71**	3,638.76	**18,999.51**	16,943.05	**54.04**	112.61

41. क. कंपनी की संपूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी उसकी धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के स्वामित्व में है।

ख. संबंधित पक्षों के संबंध और नाम निम्नानुसार हैं :

1. धारक कंपनी : इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड।

2. मुख्य प्रबंधन कार्मिक :

निदेशक : श्री हितेश खन्ना, श्री अनिल जैन, श्री सुरजीत दत्ता और श्री ए.के.गोयल

अन्यः श्री सी.के.नायर, सीईओ, श्री अनिकेत खेत्रपाल, सीएफओ, सुश्री दीपशिखा गुप्ता, कंपनी सचिव ।

ग. प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक निम्नानुसार है :

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	**विवरण**	**2015-16**	2014-15
1.	वेतन एवं भत्ते	**64.05**	50.79
2.	शविष्य निधि में अंशदान*	**5.54**	4.34
	कुल	**69.59**	55.13

* नोट सं. 29 का संदर्भ लें।

कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन धारक कंपनी द्वारा की गई है और कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य प्रचालन अधिकारी, वित्त प्रमुख और कंपनी सचिव का पारिश्रमिक ऊपर दर्शाया गया है।

घ. संबंधित पक्ष संव्यवहार :

(रुपए लाख में)

विवरण	**संव्यवहार**		**बकाया राशि**	
	2015–16	2014–15	**2015–16**	2014–15
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक (ख उपर्युक्त)	**नोट सं–41(ग) के अनुसार**		**शून्य**	शून्य
धारक कंपनी से सेवाओं तथा वस्तुओं की खरीद के प्रति देय राशि	**73.41**	119.50	**20.59**	102.99
वेतन व मजदूरी, पीएफ अंशदान, यात्रा	**186.26**	78.36	**178.52**	219.61

आदि के रुप में कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान				
धारक कंपनी से वसूलनीय अग्रिम	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
धारक कंपनी से राजस्व आय	**1,571.91**	2,729.19	**941.99**	725.57
धारक कंपनी से ऋण*	**(400.00)**	(1665.40)	**2,750.00**	3,150.00
धारक कंपनी से लिए गए ऋण पर देय ब्याज	**391.08**	560.60	**20.26**	504.24
धारक कंपनी से प्राप्त अग्रिम	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
धारक कंपनी से प्राप्त शेयर आवेदन राशि	**शून्य**	2,500.00	**शून्य।**	2,500.00

*वर्ष के दौरान शून्य रुपए का ऋण लिया और 400 रुपए का पुनःभुगतान किया है।

42. 31 मार्च 2016 को कंपनी के पास कोई इन्वेंटरी नहीं है।

43. कंपनी ने कंपनी (लेखांकन मानक) निमय, 2006 द्वारा अधिसूचित ''परिसंपत्तियो का हानिकरण'' लेखांकन मानक 28 के अनुसार वर्ष के दौरान शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य तथा अग्रेणीत लागत के निम्नतर आधर पर वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण द्वारा व्यक्तिगत परिसंपत्तियो के हानिकरण का आकलन किया है। इस अवधि के लिए हानिकरण शून्य (शून्य रूपए) है।

44. कंपनी को वर्ष के दौरान कोई पूर्व अवधि आय या व्यय नहीं हुआ है।

45. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के अनुसार सीएसआर के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि भारत मे अपने प्रचालनो से कंपनी को प्राप्त शुद्ध लाभ 500.00 लाख रुपए से कम है।

क्र.सं	विवरण	राशि(लाख रुपए में)
क	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि	शून्य
ख	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	10.36

किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	विवरण	2015–16	2014–17
1.	भुखमरी, गरीबी, कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ देखरेख एवं स्वच्छता का संवर्धन तथा सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना	6.36	शून्य
2.	शिक्षा का संवर्धन	4.00	शून्य
	कुल	10.36	शून्य

46. अन्य आय में धारक कंपनी यथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से वित्त वर्ष 2014–15 के लिए श्रीलंका में भुगतान किए गए करों की प्रतिपूर्ति के रुप मे 248.71 लाख रूपए (281.65 लाख रुपए) की राशि शामिल है।

47. नए कंपनी अधिनियम, 2013, पैरा 4 (क), अनुसूची–।। की अधिसूचना के परिणामस्वरूप, जिसमें अपेक्षित है कि यदि महत्वपूर्ण मूल्य वाली पसिंपत्ति के घटक का शेष परिसंपत्तियों से भिन्न उपयोगी जीवनकाल है, उस घटक के उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण अगल से किया जाएगा। परिकलन की विधि में परिवर्तन के कारण, मशीन का मूल्यह्रास सभी घटाकें के लिए अगल से परिकलित किया गया है, जिसके परिणामस्रूप, मूल्यह्रास की राशि में 30.09 लाख रूपए की वृद्धि हुई है (नए प्रावधान के अनुसार मूल्यह्रास 129.27 लाख रूपए और पूराने प्रावधान के अनुसार मूल्यह्रास 99.18 लाख रूपए), जिसने आगे कंपनी के कर पूर्व लाभ को 30.09 लाख रूपए से और कम कर दिया है।

48. कंपनी द्वारा किए गए किसी दीर्घकालीन संविदाओ मे कंपनी किसी प्रकार के सामग्रीगत भावीहानियों को नहीं देखती है, इसलिए, इस संबंध में किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने विचाराधीन वर्ष के दौरान किसी डैरिवेटिव संविदाओं में प्रवेश नहीं किया है।

49. पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहित, पुनर्व्यवस्थित तथा पुनर्निर्धारित किया गया है, जहां कही आवश्यक हुआ, ताकि इन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरुप बनाया जा सके। ( ) में दर्शाए गए आंकड़े पिछले वर्ष को दर्शाते हैं।

हमारी संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल व निमित्त और उनकी ओर से

कृते कपूर गोयल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन– 001370एन

(सीए. जे.सी.कपूर)	**अनिकेत खेत्रपाल**	**सी.के.नायर**	**दीपशिखा गुप्ता**	**सुरजीत दत्ता**	**हितेश खन्ना**
भागीदार	**सीएफओ**	**सीईओ**	**कंपनी सचिव**	**निदेशक**	**निदेशक**
सदस्यता सं. 012001				**(डीआईएन–06687032)**	**(डीआईएन–02789681)**

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 24.08.2016

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्य,

इरकॉन इंफास्टन्क्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड

नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (''कंपनी'') के 31 मार्च, 2016 को तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना के एक सार की लेखापरीक्षा की है ।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणो, जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत मे सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतो के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा रोकड प्रवाह के सबंध मे वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध मे कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अनुच्छेद 134(5) मे उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमिततओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियो का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; ङपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो के अश्किल्प, कियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकाडों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणो को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करता हे और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनिम के प्रावधानो के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकाडों का अनुरक्षण शी शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपने विचार अश्विव्यक्ति करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों तथा उन विषयों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट मे शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस तथ्य का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करें कि क्या समेकित वित्तीय विवरण तथ्यात्मक दुर्विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती है। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक और वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के जोखिम पर निर्श्र करता है। इन जोखिम आकलनों को करने के लिए लेखापरीक्षक कंपनी की समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो सही और वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं , किन्तु यह विचार व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध मे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणो को कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन और समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मत

हमारे मतानुसार और हमारी सवोंत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना इस प्रकार प्रदान

करता हैं जो 31 मार्च 2016 को कंपनी की कार्य स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त वर्श के लिए इसके लाभ तथा इसके रोकड प्रवाह को भारत मे सामान्सय रुप से स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुरुप सही एवं वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करता है।

महत्वपूर्ण विषय

हम वित्तीय विवरणो के नोटों मे निम्नलिखित विषयो पर ध्यान आकर्षित करते हैंः

1. वित्तीय विवरण का नोट सं.–29, जो उल्लेख करता है कि कंपनी में कार्यरत व्यक्ति प्रतिनियुक्ति आधार पर हैं और वे अपनी धारक कंपनी के रोल पर हैं और इसलिए, लेखांकन मानक–15 के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों का उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के प्रावधान धारक कंपनी द्वारा किए जाएंगे।

इन विषयों के संबंध में हमारो विचार मे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुच्छेद 143 की उपधारा (11) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2015 (आदेश) द्वारा अपेक्षित अनुसार हम आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण संलग्नक के रूप में दे रहे हैं।

2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं किः

   (क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

   (ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और लाभ–हानि का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण बही खातों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 7 केसाथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते है।

(ड.) निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड मे लिए गए 31 मार्च 2016 को निदेशको से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर किसी भी निदेशक को अधिनियम के अनुच्छेद 164 (2) के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2016 को निदेशक के रुप मे नियुक्त होने से अयोग्य नहीं किया है।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरित वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक कुशलता के संदर्भ में, अनुबंध–ख में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

(च) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट मे शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध मे, हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणो मे अपनी वित्तीय स्थित पर लंबित मुकदमो के प्रभाव को प्रकट किया है – **वित्तीय विवरणो के नोट सं. 23 का संदर्भ लें।**

ii. कंपनी ने डैरिवेटिव संविदाओ सहित दीर्घकालीन संविदाओ पर सामग्रीगत भावीहानियों, यदि कोई हो, के लिए लागू कानूनो या लेखांकन मानको के अंतर्गत यथा अपेक्षित प्रावधान किए है।

iii. निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि मे किसी प्रकार की राशि हस्तांतरित करने के लिए रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान कंपनी में कोई अवसर नही आया है। ऐसी राशियों के हस्तांतरण मे विलंब का प्रश्न नहां उठता।

कृते कपूर गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएम –001370एन

(सीए. जे.सी.कपूर)
भागीदार
सदस्यता सं. 012001

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 24.08.2016

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध–क

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्श के लिए कंपनी के लेखो पर इरकॉन इंफास्टन्क्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यो को समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षको रिपोर्ट के ''अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाएं'' के पैरा 1 में संदर्शित अनुबंध। हम उल्लेख करते हैं कि:

(i) (क) कम्पनी ने उचित अभिलेखों का रखरखाव किया है जिनसे मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।

(ख) हमें उल्लेख किए अनुसार, कंपनी की प्रकिया के अनुसार, युक्तिसंगत अंतराल पर चरणबद्ध सत्यापन कार्यकम मे प्रबंधन द्वारा स्थिर परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा किया जाने वाला नियमित सत्यापन उचित है। इस प्रकार के सत्यापन में कोई विसंगति नहीं पाई गई है।

(ग) अचल परिसंपत्तियों का टाइटल डीड कंपनी के नाम पर है।

(ii) हमें उल्लेख किए अनुसार, उपभोज्य और स्टेशनरी के इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान युक्तिसंगत अंतराल पर किया जाता है।

(iii) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार कम्पनी अधिनियम की धारा–189 के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में किसी कम्पनी, फर्म, लिमिटेड देयता साझेदारियों या अन्य पक्षों को किसी प्रकार का रक्षित या अरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए आदेश के पैरा 3 के खंड (iii) (क), (iii) (ख) तथा (iii) (ग) कम्पनी पर लागू नहीं होती।

(iv) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के अंतर्गत ऋण, निवेश, गारंटियों और प्रतिभूतियों के संबंध में प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

(v) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 तक तथा अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों, जहां लागू हो, के प्रावधनों या किसी अन्य संगत प्रावधानों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन में कोई जमाराशियां स्वीकार नहीं की हैं। कंपनी विधि बोर्ड या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य न्यायालय या अधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

(vi) हमें प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि, केन्द्रीय सरकार ने कंपनी के उत्पादों के लि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद–148 का उप अनुच्छेद (1) के अंतर्गत लागत रिकार्ड का अनुरक्षण निर्धारित नहीं किया गया है।

(vii) क) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, मूल्य संवर्धन कर, वस्तु एवं सेवाकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों के संबंध में लेखा बिहयों में कटौती की गई/संचित राशियों को सामान्य रूप से नियमित आधार पर कंपनी द्वारा सांविधिक प्राधिकरणों को जमा कराया गया है केवल ठेकेदारों से काटे गए 39,23,883 रूपए के श्रम उपकर और ठेकेदारों से काटे गए 2,27,996 रूपए के वेट को छोड़कर बकाया राशियों के देय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष की अतिम तिथि को देय बकाया सांविधिक देय राशियों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

सांविधि की प्रकृति	राशि संबंधी अवधि	देय की प्रकृति	राशि
भवन एवं अन्य निर्माण कामगार उपकर अधिनियम, 1996	2015–16	श्रमिक उपकर	39,23,883 (आज की तिथि तक 28,49,093 जमा करा दिए हैं)
आंध्र प्रदेश वेट अधिनियम	2015–16	डब्ल्यूसीटी	2,27,996 (आज की तिथि तक जमा करा दिए हैं)

* विभिन्न राज्यों सहित

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार भविष्य निधि, आयकर बिक्रीकर, सम्पदाकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, मूल्य संवर्धन कर, वस्तु एवं सेवाकर, उपकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय के संबंध में नीचे उल्लिखित को छोड़कर इनके देय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि के लिए कोई अविवादित देय नहीं है :

(viii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों की देय राश्यिों के भुगतान में सिकी प्रकार की चूक नहीं की है। वर्ष के दौरान कंपनी का किसी वित्त संस्था, बैंक या डिबेंचर धारकों के प्रति कोई देय राशि लंबित नहीं है।

(ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक पब्लिक ऑफर या भावी पब्लिक ऑफर (ऋण लिखितों सहित) तथा दीर्घकालीन ऋणों के माध्यम से कोई धनराशि एकत्र नहीं की है।

(**X**) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर वर्ष के दौरान कोई जालसाली नोटिस या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(xi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अधिनियम की अनुसूची–V के साथ पठित धारा–197 के प्रावधानों द्वारा अनिवार्य अपेक्षित अनुमोदनों के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया है।

(xii) हमारे पास उपलब्ध सूचना और रिकार्डों के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है।

(xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी संव्यवहार अधिनियम के अनुच्छेद–177 तथा 188 के अनुपालन में है, जहां लागू हो और उसका ब्यौरा लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित अनुसार, अपेक्षित ब्यौरों को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(xiv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी के शेयरों या परिवर्ती डिबैंचरों के निजी प्लेसमेट का कोई प्रेफरेंशियल आवंटन नहीं किया, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारक कंपनी को दिनांक 25.05.2015 को राइट शेयरों के आवंटन को छोड़कर।

(xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनके संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई गैर–रोकड़ संव्यवहार नहीं किया है।

(xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुच्छेद–45–1क के अंतर्गत कंपनी के ि लए पंजीकरण अपेक्षित नहीं है।

कृते कपूर गोयल एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
पंजीकरण सं.:001370एन

ह/–
सीए जे सी कपूर
(साझेदार)
सदस्यता संख्या : 012001

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.08.2016

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड इंड एएस वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध–ख

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड 143 के उप खंड 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2016 को इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'')के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं। हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रव्रि याएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं – वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रव्रि याएं शामिल हैं जो (1)उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करते हैं, (2)युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और

व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3)कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, त्रुटि और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्ति, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सभी सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2016 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

कृते कपूर गोयल एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
पंजीकरण सं.:001370एन
ह/–
सीए तरूण कपूर
(साझेदार)
सदस्यता संख्या : 095949

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.08.2016

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड के लेखों की लेखापरीक्षा की है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों/उप निदेशों के अनुसार हम निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं:

क्र.सं	सीएजी के निदेशक	हमारी रिपोर्ट	की गई कार्रवाई	कंपनी के लेखों व वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और लीसहोल्ड भूमि के लिए क्लियर टाइटी/पट्टा विलेख हैं। यदि नहीं तो उस क्षेत्र का उल्लेख करें जहां फ्रीहोल्ड और लीसहोल्ड भूमि के लिए क्लियर टाइटी/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं।	हां	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	शून्य
2.	क्या कर्ज/ऋणों/ब्याज आदि को छोड़ने/बट्टा खाता डालने के कोई मामले हैं, यदि हां तो इसके कारण बताएं और इसमें कितनी राशि शामिल है।	लागू नहीं	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	शून्य
3.	क्या तीसरे पक्षों के पास पड़ी इन्वेंटरियों और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त उपहार/अनुदान (अनुदानों) के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का उचित रिकार्ड रखा गया है।	लागू नहीं	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं	शून्य

कृते कपूर गोयल एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
पंजीकरण सं.:001370एन

ह/–
(सीए जे सी कपूर)
(साझेदार)
सदस्यता संख्या : 012001

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.08.2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड** के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद–143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद–143(10) के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनाँक 24 अगस्त 2016 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद–143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा न करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

ह/0
(बी.आर.मंडल)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक,
रेलवे वाणिज्यिक, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँकः 15.09.2016

समाप्त

***